इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 45] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 11 नवम्बर 2011—कार्तिक 20, शक 1933

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुर:स्थापित विधेयक,
(ख)(1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 अक्टूबर 2011

क्र. ई-1-368-2011-5-एक.—(1) श्री प्रशांत मेहता, भाप्रसे (1975) महानिदेशक, आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ आगामी आदेश तक, महानिदेशक, अटल बिहारी वाजपेयी, लोक प्रशासन संस्थान का प्रभार भी सौंपा जाता है.

भोपाल, दिनांक 24 अक्टूबर 2011

क्र. ई-5-780-आयएएस-लीव-एक-5.—(1) श्री डी. डी. अग्रवाल, आयएएस., प्रबंध संचालक, महिला वित्त एवं विकास निगम तथा मिशन संचालक, अटल बाल आरोग्य मिशन को दिनांक 1 नवम्बर से 16 दिसम्बर 2011 तक छियालीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 17, 18 दिसम्बर 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री डी. डी. अग्रवाल की अवकाश अवधि में श्री अनुपम राजन, भाप्रसे, संचालक, महिला एवं बाल विकास को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रबंध संचालक, महिला वित्त एवं विकास निगम तथा मिशन संचालक, अटल बाल आरोग्य मिशन का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री डी. डी. अग्रवाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, महिला वित्त एवं विकास निगम तथा मिशन संचालक, अटल बाल आरोग्य मिशन के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.

(4) श्री डी. डी. अग्रवाल द्वारा प्रबंध संचालक, महिला वित्त एवं विकास निगम तथा मिशन संचालक, अटल बाल आरोग्य मिशन का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अनुपम राजन, प्रबंध संचालक, महिला वित्त एवं विकास निगम तथा मिशन संचालक, अटल बाल आरोग्य मिशन के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री डी. डी. अग्रवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. डी. अग्रवाल, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-731-आयएएस-लीव-एक-5.—(1) श्री आर. के. माथुर, आयएएस, सचिव, (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय को दिनांक 31 अक्टूबर से 18 नवम्बर 2011 तक, उन्नीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 30 अक्टूबर 2011 एवं दिनांक 19, 20 नवम्बर 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. माथुर, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री आर. के. माथुर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर. के. माथुर, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 29 अक्टूबर 2011

क्र. ई-5-817-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री राहुल जैन, आयएएस, कलेक्टर, जिला छतरपुर को दिनांक 11 से 18 नवम्बर 2011 तक आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री राहुल जैन, की अवकाश अवधि में श्रीमती भावना वालिम्बे, अपर कलेक्टर (विकास) एवं मुख्य कार्यापालन अधिकारी, जिला पंचायत, छतरपुर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला छतरपुर का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री राहुल जैन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला छतरपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री राहुल जैन द्वारा कलेक्टर, जिला छतरपुर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती भावना वालिम्बे, कलेक्टर जिला छतरपुर के प्रभार से मुक्त होंगी.

(5) अवकाशकाल में श्री राहुल जैन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राहुल जैन, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 31 अक्टूबर 2011

क्र. ई-5-670-आयएएस-लीव-एक-5.—(1) श्रीमती अलका उपाध्याय, आयएएस, सचिव, ''कार्मिक'', मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 1 से 5 नवम्बर 2011 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 6 एवं 7 नवम्बर 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती अलका उपाध्याय को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, ''कार्मिक'', मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती अलका उपाध्याय को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती अलका उपाध्याय, अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अवनि वैश्य, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 28 अक्टूबर 2011

क्र. एफ-3-4-2011-1-4.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, नगरपालिका परिषद्, हरदा जिला हरदा के आम निर्वाचन 2011 हेतु दिनांक 3 नवम्बर 2011 गुरुवार को जिले के संबंधित नगरीय क्षेत्र में सामान्य अवकाश घोषित करता है.

2. उक्त दिनांक को केवल संबंधित नगरीय क्षेत्र के लिये परक्राम्य लिखित अधिनियम (निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट्स एक्ट) 1881 (1881 का क्रमांक 26) की धारा 25 के अन्तर्गत सार्वजनिक अवकाश भी घोषित करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सी. पंत, उपसचिव.

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 सितम्बर 2011

क्र. एफ. 5-49-2009-उन्तीस-2..—राज्य शासन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 की सं. 68) की धारा 10 की उपधारा (1-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए चयन समिति की सिफारिश पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम्स में उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से निम्नांकित को सदस्य के रूप में नियुक्त करता है :—

क्रमांक	नाम	जिला
(1)	(2)	(3)
1	श्रीमती अंजू गुप्ता	शिवपुरी
2	श्री राकेश शिवहरे	मुरैना
3	श्रीमती तरूणा सक्सेना	विदिशा
4	श्री संजय कुमार शर्मा	छतरपुर

2. जिला उपभोक्ता फोरम के सदस्य प्रत्येक कार्य दिवस पर पूर्वान्ह 10.30 बजे से अपरान्ह 4.00 बजे तक जिला उपभोक्ता फोरम में उपस्थित रहेंगे. उन्हें यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे बिना उपयुक्त कारण के फोरम की बैठक में तीन बार अनुपस्थित रहते हैं तो उन्हें पद से हटाने की कार्यवाही की जावेगी. सदस्य को केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना अनिवार्य होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ललित दाहिमा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 22 अक्टूबर 2011

क्र. एफ. 5-35-2009-उन्तीस-2.—राज्य शासन, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 की सं. 68) की धारा 10 की उपधारा (1-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए चयन समिति की सिफारिश पर श्री रमाकांत दीक्षित को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम, नरसिंहपुर में उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से सदस्य के रूप में नियुक्त करता है.

2. जिला उपभोक्ता फोरम के सदस्य प्रत्येक कार्य दिवस पर पूर्वान्ह 10.30 बजे से अपरान्ह 4.00 बजे तक जिला उपभोक्ता फोरम में उपस्थित रहेंगे उन्हें यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे बिना उपयुक्त कारण के फोरम की बैठक में तीन बार अनुपस्थित रहते हैं तो उन्हें पद से हटाने की कार्यवाही की जावेगी. सदस्य को केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना अनिवार्य होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध रेगे, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 28 सितम्बर 2011

क्र. एफ. 5-10-2011-उन्तीस-2..—राज्य शासन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 की सं. 68) की धारा 10 की उप धारा (1-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए चयन समिति की सिफारिश पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम्स में उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से निम्नांकित को सदस्य के रूप में नियुक्त करता है :—

क्रमांक	नाम	जिला
(1)	(2)	(3)
1	श्री श्यामसुन्दर चतुर्वेदी	भिण्ड
2	श्री वीरेन्द्र सिंह राजपूत	सिवनी
3	श्रीमती पुष्पा शुक्ला	सतना

2. जिला उपभोक्ता फोरम के सदस्य प्रत्येक कार्य दिवस पर पूर्वान्ह 10.30 बजे से अपरान्ह 4.00 बजे तक जिला उपभोक्ता फोरम में उपस्थित रहेंगे. उन्हें यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे बिना उपयुक्त कारण के फोरम की बैठक में तीन बार अनुपस्थित रहते हैं तो उन्हें पद से हटाने की कार्यवाही की जावेगी. सदस्य को केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना अनिवार्य होगा.

भोपाल, दिनांक 5 अक्टूबर 2011

क्र. एफ. 5-10-2011-उन्तीस-2.—राज्य शासन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 की सं. 68) की धारा 10 की उप धारा (1-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए चयन समिति की सिफारिश पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम्स में उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से निम्नांकित को सदस्य के रूप में नियुक्त करता है :—

क्रमांक	नाम	जिला
(1)	(2)	(3)
1	श्रीमती माधुरी चौरसिया	नीमच
2	श्रीमती शालिनी कटारे	शहडोल
3	सुश्री नीम खरे	शहडोल
4	श्रीमती स्नेहलता तिवारी	सीधी
5	श्रीमती भारती सिंह	सीधी
6	श्री नरेन्द्र कुमार रधुवर प्रसाद तिवारी	शाजापुर
7	श्रीमती सुधा शर्मा	मंदसौर
8	श्री श्यामसुन्दर चौधरी	मंदसौर
9	श्रीमती सुमित्रा हाथीवाला	बुरहानपुर
10	श्रीमती भारती गुप्ता	मुरैना

2. जिला उपभोक्ता फोरम के सदस्य प्रत्येक कार्य दिवस पर पूर्वान्ह 10.30 बजे से अपरान्ह 4.00 बजे तक जिला उपभोक्ता फोरम में उपस्थित रहेंगे. उन्हें यह भी निर्देशित किया जाता है कि

वे बिना उपयुक्त कारण के फोरम की बैठक में तीन बार अनुपस्थित रहते हैं तो उन्हें पद से हटाने की कार्यवाही की जावेगी. सदस्य को केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना अनिवार्य होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. पी. बिले, अवर सचिव.

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 अक्टूबर 2011

क्र. एफ. 10-3-2011-तेईस-यो.आ.सां.—सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ ए 3-30-2011-एक(1), दिनांक 19 जुलाई 2011 के द्वारा श्री बाबूलाल जैन, उपाध्यक्ष, राज्य योजना आयोग को मंत्री स्तर का दर्जा प्रदान किया गया है.

2. राज्य शासन, एतद्द्वारा, उपाध्यक्ष, राज्य योजना आयोग की सेवा शर्तें तथा अन्य सुविधायें निम्नानुसार निर्धारित करता है :—

क्र. (1)	सुविधा का नाम (2)	वेतन/सुविधाएं (3)
1	वेतन (मासिक)	रु. 8000=00
2	सत्कार भत्ता (मासिक)	रु. 12000=00
3	कार्यकाल की अवधि में दैनिक भत्ता.	रु. 700=00 प्रतिदिन
4	आवास सुविधा	नि:शुल्क (सुसज्जित आवास)
5	विद्युत व्यय (मासिक)	अधिकतम 1000 यूनिट
6	पानी पर व्यय	अनिर्धारित
7	वाहन	एक
8	वाहन चालक	दो
9	ईंधन (पेट्रोल/डीजल)	350 लीटर प्रतिमाह
10	चिकित्सा सुविधा	नि: शुल्क (अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के समान).
11	यात्रा सुविधा	एच.ओ.आर. दो व्यक्तियों के लिए रेल / वायुयान में वातानुकूलित प्रथम श्रेणी यान में यात्रा.
12	यात्रा के दौरान दैनिक भत्ता.	अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के समान.
13	व्यक्तिगत स्टाफ	1. विशेष सहायक—एक 2. निज सचिव—एक 3. निज सहायक—एक 4. सहायक ग्रेड-2—एक 5. सहायक ग्रेड-3—एक 6. जमादार—एक 7. भृत्य—चार 8. चौकीदार—एक 9. फर्राश—एक
14	गार्ड सुविधा	दो गन मैन
15	दूरभाष	दो

3. उपरोक्त शर्तें उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से लागू होगी तथा किसी अन्य के लिए पूर्व उदाहरण नहीं होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सुरेश, प्रमुख सचिव.

पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 सितम्बर 2011

क्र. एफ. 4-2-2011-चौवन-2.—वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 14(2) (1) (ख) के अन्तर्गत बोर्ड के कार्यकाल तक निम्न व्यक्तियों को वक्फ बोर्ड में सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है :—

(1) श्री आरिफ बेग
(2) श्री मोहम्मद गनी अंसारी

2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एस. खैरवार, उपसचिव.

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 अक्टूबर 2011

क्र. एफ. 6-5-2011-अठारह-3.—राज्य शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 26 एफ 6-5-2011-अठारह-3, दिनांक 25 मार्च 2011 द्वारा गठित मध्यप्रदेश प्रापर्टी टेक्स बोर्ड में निम्नांकित विशेषज्ञ सदस्यों/सदस्यों को नामांकित करता है :—

1. श्री इंद्रजीत जैन, संयुक्त महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक, भोपाल.
2. श्री व्ही.एस. मित्तल, वरिष्ठ जिला पंजीयक, भोपाल
3. आयुक्त, नगरपालिक निगम, भोपाल
4. अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद्, सीहोर, जिला सीहोर.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. कातिया, उपसचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 29 अक्टूबर 2011

फा. क्र. 1-6-89-इक्कीस-ब(एक)-3600-011.—स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 36 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्र. 1-6-89-इक्कीस-ब(1), दिनांक 3 अप्रैल 1998 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 में दिनांक 17 अप्रैल 1998 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, अनुक्रमांक 41 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां क्रमश: स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

अनुक्रमांक	न्यायाधीश का नाम तथा पदनाम	विशेष न्यायालय	स्थानीय क्षेत्र/सेशन खण्ड
(1)	(2)	(3)	(4)
"41.	श्री धर्मेन्द्र सिंह, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, शिवपुरी.	शिवपुरी	शिवपुरी.".

यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसको कि अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें.

F.No. 1-6-89-XXI-B(1)-3600-011.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 36 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (No. 61 of 1985), the State Government, with the concurrence of the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendments in this Department's Notification F. No. 1-6-89-XXI-B(1), dated 3rd April 1998, which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-1, dated 17th April 1998, namely:—

AMENDMENTS

In the said Notification in the Schedule, for serial number 41 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

S. No.	Name and designation of the Judge	Special Court	Local Area/Session Division
(1)	(2)	(3)	(4)
"41.	Shri Dharmendra Singh, Additional Sessions Judge, Shivpuri.	Shivpuri	Shivpuri.".

This amendment shall come into force from the date on which the Judge as specified in the Notification assumes the charge of this office in the said Court.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. खान, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 1 नवम्बर 2011

फा. क्र. 17(ई)49-2009-इक्कीस-ब (एक).—कुटुम्ब न्यायालय, अधिनियम, 1984 (1984 का 66) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य शासन, उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात्, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17(ई)49-

2009-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 3 जून 2011 में निम्नलिखित संशोधन करता है :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची स्थापित की जाए, अर्थात् :—

अनुक्रमांक (1)	कुटुम्ब न्यायालय का नाम (2)	मुख्यालय (3)	क्षेत्र जिसकी अधिकारिता तक विस्तार होगा (4)
1	कुटुम्ब न्यायालय, राजगढ़ (ब्यावरा).	राजगढ़ (ब्यावरा)	कंटोनमेंट क्षेत्र को, यदि कोई हो, सम्मिलित करते हुए, नगर पंचायत, राजगढ़ (ब्यावरा) तथा तहसील जीरापुर, खिलचीपुर एवं पचोर की सीमाएं.
2	कुटुम्ब न्यायालय, होशंगाबाद	होशंगाबाद	कंटोनमेंट क्षेत्र को, यदि कोई हो, सम्मिलित करते हुए, नगरपालिका, होशंगाबाद की सीमाएं.

F. No. 17(E) 49-2009-XXI-B (1).—In exrecise of the powers conferred by Section 3 of the Family Courts Act, 1984 (No. 66 of 1984), the State Government, after consultation with the High Court, hereby, makes the following amendments in this department's Notificaton F. No. 17(E) 49-2009-XXI-B(1), dated 3rd June 2011 namely :—

AMENDMENT

In the said notification, for the Schedule, the following Schedule shall be substituted :—"SCHEDULE

S.No. (1)	Name of Family Court (2)	Head quarters (3)	Area to which the jurisdiction shall extend (4)
1	Family Court, Rajgarh (Bioara).	Rajgarh (Bioara)	Limits of nagar panchayat Rajarh (Bioara) and Tehsil Jeerapur, Khilchipur and pachor including Cantonment area if any.
2	Family Court, Hoshangabad	Hoshangabad	Limits of Municipality hoshangabad including Cantonment area if any.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दिनेश नायक, सचिव.

स्कूल शिक्षा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 नवम्बर 2011

क्र. एफ. 50-4-2007-बीस-3.—मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1965 (क्रमांक 23 सन् 1965) की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ट) के उपखण्ड (एक)(तीन)(चार) और (छः) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को माध्यमिक शिक्षा मंडल के सदस्यों के रूप में नाम निर्दिष्ट किया जाता है और उनके नाम ''मध्यप्रदेश राजपत्र'' में उक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार अधिसूचित किये जाते हैं, अर्थात् :—

स.क्र. (1)	नाम (2)	व्यवसाय (3)	समिति का नाम (4)
1	श्री राजेश तिवारी	प्राचार्य	सरस्वती विद्याविहार, हरदा
2	श्रीमती शशि मिश्रा	प्राचार्य	सरस्वती विद्या मंदिर, मोती नगर, सागर

(1)	(2)	(3)	(4)
3	श्री एल. जी. लोबो	प्राचार्य	लेनार्ड उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जबलपुर
4	डॉ. प्रेम छाबड़ा	प्राचार्य	लोकमान्य तिलक प्रशिक्षण महाविद्यालय, उज्जैन
5	श्री बैकुण्ठ साहू	व्याख्याता	सरस्वती उ.मा. विद्यालय, बिजोली बैडन, सीधी
6	श्री अरूण शुक्ला	व्याख्याता	लोकमान्य तिलक उ.मा.वि., उज्जैन
7	डॉ. ममता सिंह	व्याख्याता	सरस्वती विद्या मंदिर, नई बस्ती, कटनी
8	श्री सी. एल. सांकरिया	व्याख्याता	शासकीय उत्कृष्ठ विद्यालय, होशंगाबाद
9	श्री श्रीकृष्ण शर्मा	व्याख्याता	जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, भिण्ड
10	श्री राजेश जोशी	व्याख्याता	सरस्वती विद्या मंदिर, खातीवाला टैंक, माणिकबाग, इन्दौर.
11	श्री अरविन्द बण्डी	सदस्य	सिद्धि विनायक बाल कल्याण समिति, इन्दौर
12	डॉ. विपिन बिहारी व्यौहार	सदस्य	सरस्वती शिक्षा परिषद्, जबलपुर
13	श्री देवकीनंदन चौरसिया	सदस्य	रामकृष्ण शिक्षण समिति, विदिशा
14	डॉ. चिन्तामणी मालवीय	विभागाध्यक्ष	विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन
15	डॉ. प्रेम भारती	सदस्य	राज्य कार्यकारिणी सर्व शिक्षा अभियान, भोपाल.

2. उपरोक्त नाम निर्दिष्ट सदस्यों की पदावधि इस अधिसूचना के ''मध्यप्रदेश राजपत्र'' में प्रकाशित होने की तारीख से 3 वर्ष की होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गीता मिश्रा, अपर सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश

शहडोल, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 42 के अन्तर्गत करार-पत्र

क्रमांक-दस-भू-अर्जन-फा 543-16-अ-82-2010-11-5749.—यह करार-पत्र आज दिनांक 18 अक्टूबर 2011 को प्रथम पक्ष कलेक्टर, शहडोल के मार्फत कार्य करते हुये मध्यप्रदेश के राज्यपाल (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''राज्यपाल'' कहा गया है जिस अभिव्यक्ति में जहां प्रसंग से वैसा अनुमत हो, उसके पद के उत्तराधिकारी सम्मिलित होंगे) तथा द्वितीय पक्ष एस. जे. के. पॉवरजेन लिमिटेड, शहडोल (मध्यप्रदेश) जो कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन निगमित एक पब्लिक, लिमिटेड कम्पनी है तथा जिसका मुख्यालय एवं रजिस्ट्रीकृत कार्यालय 1445, बज्रस प्रथम तल 28वां मेन, 9वां ब्लॉक जय नगर, पूर्व बैंगलोर 560069, कर्नाटका स्थित है (जिसे इसमें इसके पश्चात् कम्पनी है, जिस अभिव्यक्ति में जहां कि प्रसंग से अनुमत हो, उसके उत्तराधिकारी और अनुमत अभिहस्तांतरित सम्मिलित होंगे) के मध्य किया जाता है एवं परियोजना का कार्यालय हनुमान चौक घरौला मोहल्ला वार्ड नं. 15, शहडोल, पिनकोड 484001 में स्थित है.

चूंकि कम्पनी ने जिला शहडोल, तहसील सोहागपुर के ग्राम लालपुर, जनरल नं. 918, पटवारी हल्का नं. 64, राजस्व निरीक्षक मण्डल, कंचनपुर में स्थित भूमि को जिसके खसरा क्रमांक संलग्न सूची अनुसार खसरा नं. 15 हैं, कुल रकबा 2.497 है. (जिसे इसमें संलग्न की गई सूची में अधिक विशिष्ट रूप से वर्णित किया गया है तथा अधिक स्पष्ट: दृष्टि से इसमें उपाबद्ध मानचित्र पर अंकित किया

गया है और उसमें सुर्खी से बतलाया है इसके पश्चात् उक्त भूमि के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) प्रस्तावित 660×2 मेगावॉट के विद्युत परियोजना की स्थापना के प्रयोजन हेतु अधिग्रहित भूमि एवं उसके सहायक अन्य कार्यों के जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त मेसर्स एस.जे.के. पावरजेन लिमिटेड, शहडोल (मध्यप्रदेश) के नाम से निर्दिष्ट किया गया, निर्माण तथा स्थापना के लिए लैण्ड एक्यूजिशन एक्ट, 1894 (क्रमांक -1 सन् 1984) (जो इसमें इसके पश्चात् उक्त एक्ट के नाम से निर्दिष्ट है) के उपबंधों के अधीन अर्जित करने राज्यपाल से प्रार्थना की है.

और, चूंकि, राज्यपाल का उक्त एक्ट के उपबंधों के अधीन रिपोर्ट पर विचार करके उपरांत यह समाधान हो गया है कि उक्त औद्योगिक इकाई ग्राम लालपुर जिसके लोकोपयोगी सिद्ध होने की संभावना है, के निर्माण तथा स्थापना के लिए प्रस्तावित अर्जन आवश्यक है. अत: वे उक्त भूमि के अर्जन के लिए रजामंद हो गये हैं. मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-12-06/2011/सात-2 ए/21-09-2011 के शर्तों के अधीन अनुमति प्रदान की गई है.

और, चूंकि, राज्यपाल ने कंपनी को उक्त एक्ट की धारा 41 के अधीन इसमें इसके पश्चात् दिये गये निबंधनों तथा शर्तों पर राज्यपाल के साथ करार करने के लिए आपेक्षित है.

अतएव यह करार निम्नलिखित बातों का साक्षी है और एतद्द्वारा यह करार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि :—

1. भारत सरकार की वर्ष 2007 (अधिसूचित 31-10-2007) की राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति, मध्यप्रदेश शासन की पुनर्वास नीति एवं केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के समय-समय पर जारी निर्देश एवं शर्तें होंगे. जिसका पूर्णत: पालन करते हुए पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन की कार्यवाही की जावे.

2. कंपनी राज्यपाल या ऐसे व्यक्ति को, जिसे कि राज्यपाल इस संबंध में नियुक्त करें ऐसी समस्त राशियां चुकाएगी जो कि राज्यपाल को उक्त भूमि का अर्जन करने में प्रतिकार या अर्जन से प्रासंगिक अन्य प्रभारों के कारण खर्च करना पड़े, वह धन जो कंपनी द्वारा इस खण्ड के अधीन देय होगा और तत्पश्चात् ऐसी और रकम या रकमों की जिसके कि जिसमें/जिनके संबंध में कलेक्टर यह अनुमान करें कि वह/वे समय-समय पर प्रतिकार या अर्जन से प्रासंगिक अन्य प्रभारों को चुकाने के प्रायोजन के लिये अपेक्षित होगी/होंगी. कलेक्टर को, उसके द्वारा लिखित में मांग किये जाने के पश्चात् 14 दिन के भीतर देनगी करने चुकाया जायेगा, यदि कंपनी ऊपर निर्दिष्ट किये गये अनुसार अर्जन के सम्पूर्ण खर्च या उसके किसी भाग के पूर्ववत् कालावधि के भीतर राज्यपाल को न चुकाये तो राज्यपाल उस कंपनी से भू-राजस्व के बकाया की भांति वसूल करने के लिए हकदार होगा, परन्तु उस खण्ड में अन्तर्विष्ट किसी भी बात का शासन के अन्य उपायों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा.

3. ऊपर के खण्ड (1) के अधीन देय समस्त धन की देनगी होने पर राज्यपाल उक्त भूमि कंपनी को अन्तरित करेंगे और तदुपरांत कंपनी ऐसे राजस्व तथा अन्य प्रभारों को, जो कि समय-समय पर निश्चित किये जाये, चुकाने के अपने दायित्वों के अधीन रहते हुये तथा इसके अतिरिक्त निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुये उक्त भूमि को धारण करेगी, अर्थात् :—

   1. कंपनी द्वारा (इस आशय की करारनामें या वचनबद्धता के अनुसार) जिन कृषकों की भूमि अधिग्रहित की जा रही है उनके परिवार के कम से कम एक सदस्य को पात्रतानुसार नौकरी देने में प्राथमिकता देगी. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिए पुनर्वास किये जाने की स्थायी योजना को संबंधित प्रोजेक्ट में शामिल किया जावेगा.

   2. कंपनी के लिए भू-अर्जन किये जाने संबंधी कार्य कलेक्टर के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम तथा संबंधित विधिक उपबंधों एवं शासनादेशों के अन्तर्गत दिये गये प्रावधानों तथा शर्तों के अनुसार किया जावेगा.

   3. संबंधित परियोजना को स्थापित करने के संबंध में संबंधित कंपनी द्वारा मध्यप्रदेश पुनर्वास नीति एवं भारत सरकार की पुनर्वास नीति, 2007 एवं अन्य निर्देश के अन्तर्गत पुनर्वास की कार्यवाही की जायेगी.

4. भूमि के किसी उपयोग या उस पर किसी निर्माण के पूर्व सभी आवश्यक अनुमतियां अनुमोदन एवं अनापत्तियां संबंधित संस्था को जैसे नगर निगम/ तथा नगर ग्रामीण निवेश विभाग एवं अन्य स्थानीय संस्थाओं, कलेक्टर आदि से प्राप्त करना होंगी तथा मास्टर प्लान एवं पर्यावरण संस्था के नियमों आदि का पूर्ण पालन किया जायेगा.

5. अर्जित की गई निजी भूमि का वार्षिक व्यपवर्तन कर कंपनी द्वारा देय होगा.

6. भूमि जिस उपयोग के लिए अर्जित की जा रही है, वही उपयोग कंपनी द्वारा किया जायेगा.

7. भूमि पर निर्माण कार्य कराते समय सामान्य जनता के निस्तार आदि का ध्यान रखा जायेगा.

8. कंपनी को दी गई भूमि या उसके किसी भाग अथवा उस पर निर्मित किसी भी निर्माण अथवा भवन आदि को बेचने, बन्धक रखने, दान देने, पट्टे पर देने या अन्य प्रकार से अन्तरित करने का अधिकार नहीं होगा. (धारा 44-ए भू-अर्जन अधिनियम के तहत).

9. यदि कंपनी को दी गई भूमि/भवन उसके किसी भी भाग को विक्रय करती है, तो भूमि अथवा उस पर निर्मित भवन, इमारतें, शासन को अपने कब्जे में लेने का अधिकार होगा और कंपनी को किसी प्रकार का मुआवजा देय नहीं होगा.

10. भूमि की केवल सतह का उपयोग किया जायेगा. आवश्यक निर्माण जैसे भवन निर्माण, नीव आदि के अतिरिक्त खुदाई नहीं की जायेगी तथा ऐसी खुदाई में प्राप्त खनिज एवं गौण खनिज पर नियमानुसार रायल्टी का भुगतान करना होगा.

11. शासन की पूर्वानुमति के बिना भूमि के उपयोग के स्वरूप को बदला नहीं जावेगा.

12. पर्यावरण की दृष्टि से पर्याप्त आवश्यक वृक्षारोपण किया जायेगा.

13. कंपनी द्वारा प्रदूषण निवारण हेतु व्यवस्था की जावेगी. इस संबंध में शासन के संबंधित विभाग के आदेशों का पालन करना होगा तथा उनसे एवं प्रदूषण निवारण मण्डल से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होंगे कि पर्यावरण, जल स्त्रोत या वायु में प्रदूषण नहीं किया जावेगा.

14. यदि कभी उक्त भूमि का उपयोग उक्त प्रयोजन के लिए नहीं होता है या बाद में कभी बंद कर दिया जाता है तो भूमि तथा उस पर निर्मित भवनों, सम्पत्तियों के साथ शासन में निहित हो जावेगी और कंपनी को इस हेतु मुआवजा देय नहीं होगा.

15. भूमि या उसके किसी भी भाग या उस पर बने किसी भवन आदि को उक्त उल्लिखित उपयोग के अलावा न तो किसी अन्य व्यक्ति को उपयोग करने दिया जायेगा और न ही पट्टे या किराये पर दिया जायेगा.

16. भूमि जिस प्रयोजन हेतु दी गई हो, उससे भिन्न प्रयोजन हेतु उपयोग किये जाने से अनाधिकृत कब्जा मानकर भूमि शासन में निहित की जायेगी.

17. शासन के प्रतिनिधि या कलेक्टर या उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि को भूमि के सही उपयोग तथा शर्तों के पालन की दृष्टि से कभी भी भूमि पर निर्मित भवन आदि तथा परिसर के निरीक्षण करने का अधिकार होगा.

18. माननीय सिविल न्यायालय द्वारा किसी भी कृषक के भूमि संबंधी वाद पर अतिरिक्त राशि भुगतान के आदेश होने पर कंपनी उपरोक्त राशि प्रदान करने को बाध्य रहेगी.

19. भू-अर्जन की मुआवजा की राशि रुपये 5 लाख प्रति एकड़ अथवा पुनर्वास नीति में उल्लेखित राशि में से जो भी अधिक हो, कम्पनी से ली जावेगी.

21. मौके की स्थिति या स्थानीय आवश्यकतानुसार भू-अर्जन की कार्यवाही के दौरान कलेक्टर द्वारा लगाई अन्य आवश्यक शर्तों का पूर्ण पालन कम्पनी द्वारा किया जायेगा.

अनुसूची

मे. एस.जे.के. पावरजेन हेतु मुख्य मार्ग से प्लांट साइट तक पहुंच मार्ग के लिए ग्राम लालपुर प.ह.नं. 64, राजस्व निरीक्षक, मंडल कंचनपुर, तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल की भूमि के भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित कृषक सर्वे क्रमांक एवं रकबा :—

ग्राम-लालपुर, तहसील-सोहागपुर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश

क्रमांक	भूमिस्वामी का नाम	खसरा क्रमांक	कुल रकबा (हे. में.)	प्रस्तावित भूमि रकबा (हेक्टेयर में)	श्रेणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	भोला कोल आत्मज गुज़वा कोल, लालपुर	131	4.225	0.145	ST
2	भोला कोल आत्मज गुज़वा कोल, लालपुर	132	4.225	0.324	ST
3	बाबूलाल आत्मज दुलारे पाल, लालपुर	135/1	2.339	0.081	OBC
4	छोटेलाल आत्मज गेंदवा पाल, लालपुर	136/1	1.66	0.048	OBC
5	राममिलन आत्मज गेंदवा पाल, लालपुर	221/2943/1	2.86	0.146	OBC
6	बसंती पत्नि मनिराम पाल, लालपुर	136/2	1.734	0.048	OBC
7	बींदा आत्मज मुल्लेरम पाल, लालपुर	145	5.118	0.303	ST
8	नरवद्या आत्मज कामोदा भरत आत्मज बलदेव कोल, लालपुर.	147	4.606	0.02	ST
9	शिवराम, रामगोपाल आत्मज बाजरु कोल, लालपुर	149	4.568	0.024	OBC
10	मुलाई प्रसाद आत्मज सेमा कोल, लालपुर	197	2.229	0.461	ST
11	मुलाई प्रसाद आत्मज सेमा कोल, लालपुर	222	2.229	0.153	ST
12	पार्वती पत्नि गनपतपाल कोल, लालपुर	218/2	2.473	0.101	OBC
13	बालचंद्र, मेघचंद्र आत्मज राम गोपाल, लालपुर	219	3.642	0.417	Gen.
14	बाबूलाल आत्मज गनपत पाल, लालपुर	220	3.771	0.064	OBC
15	प्रीतम सिंह आत्मज पूरण सिंह, धनपुरी रोड, बुढ़ार	226	0.405	0.162	Gen.
			कुल रकबा . .	**2.497**	

इसके साक्ष्य में करार के पक्षों ने इस करार पर उस दिनांक तथा वर्ष को जो क्रमश: उनके अपने-अपने हस्ताक्षरों के सम्मुख अंकित है, अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं.

साक्षीगण :—

हस्ता./-

1. **(एस. एन. शुक्ला)**
संयुक्त कलेक्टर, शहडोल, मध्यप्रदेश.

हस्ता./-

2. **धर्मेन्द्र द्विवेदी पिता श्री आर.पी. द्विवेदी**
घरौला मोहल्ला, शहडोल, (मध्यप्रदेश).

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हस्ता./-
(नीरज दुबे)
कलेक्टर जिला शहडोल एवं पदेन उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग.

कृते—एस.जे.के. पावरजेन लिमिटेड
हस्ता./-
(अनिल कुमार सक्सेना)
महाप्रबंधक, (प्रोजेक्ट)
एस.जे.के. पावरजेन लिमिटेड, शहडोल (मध्यप्रदेश).

कार्यालय, कलेक्टर, (भू-अर्जन शाखा), जिला सिवनी, मध्यप्रदेश

सिवनी, दिनांक 22 अक्टूबर 2011

भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का क्रमांक-1) की धारा 41 के अन्तर्गत अनुबंध पत्र

क्र. 8097-जि.भू-अर्जन-2011.—यह अनुबंध-पत्र प्रथम पक्ष के रूप में मध्यप्रदेश के राज्यपाल जिनकी ओर से कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग कार्य कर रहे हैं. (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् ''राज्यपाल'' कहा गया है, जिस अभिव्यक्ति के अन्तर्गत जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उनके पद उत्तरवर्ती और समनुदेशित भी सम्मिलित है) तथा द्वितीय पक्ष के रूप में एस.एल.एस. एनर्जी प्राईवेट लिमि. डी.बी. हाउस जनरल ए. के. वैद्य मार्ग, गोरेगांव (ईस्ट) मुम्बई तहसील घन्सौर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश जो भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत रजिस्टर्ड है. (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् ''कंपनी'' कहा गया है) जिस अभिव्यक्ति के अन्तर्गत जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उनके विधिक प्रतिनिधि, निष्पादक, पद उत्तरवादी और समनुदेशिति भी सम्मिलित है, जिसकी ओर से मुख्त्यार—श्री विजय भैयाजी माथनकर, डॉयरेक्टर जो एस.एल.एल. एनर्जी प्राईवेट लिमि. डी.बी. हाउस जनरल ए. के. वैद्य मार्ग, गोरेगांव (ईस्ट) मुम्बई में कार्य कर रहे हैं, के मध्य आज दिनांक 17 अक्टूबर 2011 को सम्पादित किया जा रहा है.

1. कंपनी ने मध्यप्रदेश शासन को (जिसे आगे राज्य शासन कहा गया है) एस.एल.एस पॉवर प्लांट के निर्माण के कारण प्रभावित होने से ग्राम बरेला, दुर्जनपुर, डोभी, पनारझिर, प. ह. नं. क्रमशः 9, 8, 8, 8 तहसील घंसौर, जिला सिवनी की निजी कृषि भूमि कुल सर्वे नम्बर संख्या 09 कुल रकबा 37.52 हेक्टर भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियां के भू-अर्जन हेतु भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के प्रावधानों के अन्तर्गत आवेदन-पत्र कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला सिवनी के कार्यालय में पेश किया है, जिसका विवरण निम्नानुसार परिशिष्ट-1 पर अंकित किया गया है.

परिशिष्ट-1

निजी कृषि भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं/परिसंपत्तियां एफ.आर.एल. के अन्तर्गत ग्राम बरेला, दुर्जनपुर, डोभी, पनारझिर

अनु.क्र.	नाम भूमि स्वामी/पिता का नाम एवं जाति	खसरा नंबर	अर्जनीय क्षेत्रफल (हे. में)	सम्पत्ति का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	**ग्राम—बरेला प.ह.न. 9 रा.नि.मं. कहानी तह. जिला सिवनी :**			
1	सुन्दर, बुदधा, सुकरत मुन्नी पिता भैयालाल हिरिया, ध. प. स्व.भैयालाल बैगा नि. ग्राम. भूमि.	159	0.50	
2	चौधरी, रमनसिंग, दशोदा, देवकी, रम्मा पिता सिया जबरसिंग गौंड निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	185	2.39	
3	ग्राम पंचायत, बरेला	155	0.80	
			योग . . 3.69	
2.	**दुर्जनपुर, प.ह.नं. 8, रा.नि.मं. कहानी, तहसील घन्सौर, जिला सिवनी :**			
4	श्रीमती धर्माबाई, ध.प. स्व. गेंदलाल चोखेलाल भूराबाई पिता गेंदलाल, सुग्गाबाई, ध.प.स्व. नोखेलाल अमियाबाई पिता नोखेलाल राजेश पिता चम्मा गौंड भूमिस्वामी	133	0.41	
			योग . . 0.41	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.	**ग्राम—डोभी प.ह.नं. 8 रा.नि.मं. कहानी तहसील घन्सौर जिला सिवनी :**			
5	डिमारी पिता तिलकसिंग गौंड नि. ग्राम भूमि	201	2.86	
6	श्रीमति पारवती बाई ध.प.स्व. बखतलाल खेमसिंग, इमरत रामसिंग, पिता वखतलाल गौंड निवासी जम्होडी खुर्द भूमिस्वामी.	211	1.51	
7	भददी पिता बौरा बैगा नि. ग्रा. भूमि	215	2.83	
8	धूरी, दादूलाल, गोविन्द, गोपाल पिता बसोरी श्रीमति सियाबाई ध. प. बसोरी बैगा निवासी बरेला भूमिस्वामी.	218	1.72	
			योग . . 8.92	
4.	**ग्राम—पनारझिर, प.ह.नं. 8 रा.नि.मं. कहानी तहसील घन्सौर :**			
9	श्री रामचन्द्र जी, श्री लक्ष्मण, जानकीजी मंदिर गोरखपुर प्रबंधक, कलेक्टर, सिवनी.	158	24.50	
			योग . . 24.50	
			महायोग . . 37.52	

2. राज्य शासन के अनुसार आवश्यक एवं निर्धारित प्रक्रिया से जांच कर इस बात की संतुष्टि कर ली है कि उक्त विद्युत् परियोजना राज्य में विद्युत् की कमी की पूर्ति हेतु और क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है.

3. कंपनी के भू-अर्जन आवेदन-पत्र के आधार पर राज्य शासन द्वारा दिनांक 24 जनवरी 1996 को सम्पन्न भू-अर्जन समिति की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक 2504-1820-2011-सात-2ए, भोपाल दिनांक 13-6-2011 के निर्देशानुसार भू-अर्जन की शर्त का अनुबंध-पत्र में समावेश किया गया है.

4. कंपनी को प्रस्तावित अनुमति की शर्त के पालन में कंपनी को राज्यपाल के साथ भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 41 के अन्तर्गत विहित प्रावधान अनुसार अनुबंध निष्पादित करना है. कंपनी की ओर से सहमत होकर यह अनुबंध-पत्र निष्पादित किया जाता है.

कंपनी निम्न प्रकार सहमत होकर घोषणा करती है कि :—

(क) कंपनी राज्य शासन को अथवा राज्य शासन के द्वारा इस हेतु नियुक्त व्यक्ति को ऐसी समस्त राशि का अग्रिम भुगतान करेगी जो भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के प्रावधानों के अंतर्गत अवार्ड की राशि जो उक्त भूमि पर स्वत्वधारी व्यक्तियों को मुआवजे के रूप में भुगतान योग्य होगी.

(ख) कंपनी राज्य शासन को ऐसे सभी प्रभारों (खर्च) का भुगतान भी करेगी जो अधिनियम के अनुसार उक्त भूमि के भू-अर्जन कार्य से युक्तिसंगत संबंधित होगा.

(ग) उपर्युक्त (क) तथा (ख) में वर्णित समस्त भुगतानों के बाद ही राज्यपाल परिशिष्ट-1, में वर्णित निजी कृषि भूमि तथा उस पर स्थित संरचनाएं/परिसंपत्तियां कंपनी को प्रदान करेगा—

(i) एस.एल.एस पॉवर प्लांट के निर्माण से प्रभावित ग्राम दुर्जनपुर, डोभी, बरेला और पनारझिर की निजी कृषि भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाओं के प्रस्तुत अर्जन प्रस्ताव पर दिनांक 24 जनवरी 1996 को सम्पन्न भू-अर्जन समिति की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार तहसील घंसौर, सिवनी के ग्राम दुर्जनपुर, डोभी, बरेला और पनारझिर की निजी कृषि भूमि क्षेत्रफल 36.73 हेक्टर तथा उस पर स्थित संरचनाओं के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के प्रावधान अंतर्गत निम्न शर्तों पर भू-अर्जन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जावेगी.

1. कंपनी (इस आशय के करारनामे या वचनबद्धता के अनुसार) जिन कृषकों की भूमि अधिग्रहित की जा रही है उनके परिवार के कम से कम एक सदस्य को पात्रतानुसार नौकरी देने में प्राथमिकता देगी. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिए पुनर्वास किये जाने की स्थायी योजना को संबंधित प्रोजेक्ट में शामिल किया जावेगा.

2. भू-अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत भू-अर्जन की जा रही भूमि के मूल्यांकन के आधार पर शत-प्रतिशत राशि के साथ 10 प्रतिशत राशि जमा कराये जाने के संबंधी कार्य संबंधित कलेक्टर्स के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम तथा संबंधित विधिक उपबंधों एवं शासनादेशों के अन्तर्गत दिये गये प्रावधानों तथा शर्तों के आधार पर किया जावेगा.

3. संबंधित कंपनी के लिये भू-अर्जन किये जाने संबंधी कार्य संबंधित कलेक्टर्स के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम तथा संबंधित विधिक उपबंधों एवं शासनादेशों के अन्तर्गत दिये गये प्रावधानों तथा शर्तों के आधार पर किया जावे.

4. संबंधित परियोजना को स्थापित करने के संबंध में संबंधित कंपनी द्वारा मध्यप्रदेश पुनर्वास नीति के अन्तर्गत पुनर्वास की कार्यवाही की जावेगी.

5. कंपनी के संबंध में करारनामा, वचनबद्धता एवं शर्तें आदि लागू करने के लिए कलेक्टर कार्यवाही करेंगे.

6. भूमि के किसी उपयोग या उस पर किसी निर्माण के पूर्व सभी आवश्यक अनुमतियां अनुमोदन एवं अनापत्तियां संबंधित संस्था को जैसे नगर निगम, नगर तथा ग्रामीण निवेश विभाग एवं अन्य स्थानीय संस्थाओं, कलेक्टर आदि से प्राप्त करना होंगी तथा मास्टर प्लान एवं पर्यावरण संस्था के नियमों आदि का पूर्ण पालन किया जावेगा.

7. अर्जित की गयी निजी भूमि का वार्षिक व्यपवर्तन कर कंपनी द्वारा देय होगा.

8. भूमि जिस उपयोग के लिये अर्जन की जा रही है, वही उपयोग कंपनी द्वारा किया जावेगा.

9. भूमि पर निर्माण कार्य कराते समय सामान्य जनता के निस्तार आदि का ध्यान रखा जायेगा.

10. कंपनी को दी गई भूमि या उसके किसी भाग अथवा उस पर निर्मित किसी भी निर्माण अथवा भवन आदि को बेचने, बंधक रखने, दान देने, पट्टे पर देने या अन्य प्रकार से अन्तरित करने का अधिकार नहीं होगा. (धारा 44-ए, भू-अर्जन अधिनियम के तहत्).

11. यदि कंपनी को दी गई भूमि/भवन उसके किसी भी भाग को विक्रय करती है तो भूमि अथवा उस पर निर्मित भवन, इमारतें शासन को कब्जे में लेने का अधिकार होगा और कंपनी को किसी प्रकार का मुआवजा देय नहीं होगा.

12. भूमि की केवल सतह का उपयोग किया जायेगा. आवश्यक निर्माण जैसे भवन निर्माण, नींव आदि के अतिरिक्त खुदाई नहीं की जायेगी तथा ऐसी खुदाई में प्राप्त खनिज एवं गौण खनिज पर नियमानुसार रायल्टी का भुगतान करना होगा.

13. शासन की पूर्वानुमति के बिना भूमि के उपयोग के स्वरूप को बदला नहीं जावेगा.

14. पर्यावरण की दृष्टि से पर्याप्त आवश्यक वृक्षारोपण किया जायेगा.

15. कंपनी द्वारा प्रदूषण निवारण हेतु व्यवस्था की जावेगी. इस संबंध में शासन के संबंधित विभाग के आदेशों का पालन करना होगा तथा उनसे एवं प्रदूषण निवारण मंडल से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होंगे कि पर्यावरण, जल स्त्रोत या वायु में प्रदूषण नहीं किया जावेगा.

16. यदि कभी उक्त भूमि का उपयोग उक्त प्रयोजन के लिये नहीं होता है या बाद में कभी बंद कर दिया जाता है तो भूमि तथा उस पर निर्मित भवनों, सम्पत्तियों के साथ शासन में निहित हो जावेगी और कंपनी को इस हेतु मुआवजा देय नहीं होगा.

17. भूमि या उसके किसी भी या उस पर बने किसी भवन आदि को उक्त उल्लेखित उपयोग के अलावा न तो किसी अन्य व्यक्ति को उपयोग करने दिया जावेगा, और न ही पट्टे या किराये पर दिया जायेगा.

18. भूमि जिस प्रयोजन हेतु दी गई हो, उससे भिन्न प्रयोजन हेतु उपयोग किये जाने से अनाधिकृत कब्जा मानकर भूमि शासन में निहित कर ली जावेगी.

19. शासन के प्रतिनिधि या कलेक्टर या उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि को भूमि के सही उपयोग तथा शर्तों के पालन की दृष्टि से कभी भी भूमि पर निर्मित भवन आदि तथा परिसर के निरीक्षण का अधिकार होगा.

20. स्थानीय आवश्यकता एवं परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक होने पर सार्वजनिक हित में राज्य शासन या कलेक्टर द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों एवं निर्देशों का पालन किये जाने के लिए कंपनी बाध्य होगी.

(ii) भू-अर्जन कार्यवाही से पूर्व यह भी देख लिया जाये कि यदि किसी अधिसूचित क्षेत्र के ग्रामों में निजी भूमि अर्जित की जा रही है तो ग्राम सभा की बैठक नियमानुसार की जाकर एवं ग्राम सभा की सहमति प्राप्त करने के पश्चात् ही यह अनुमति प्रभावशील होगी. इसके साथ ही इस परिस्थिति में वैकल्पिक भूमि क्रय कर देने की कार्यवाही की जायेगी.

(iii) भू-अर्जन कार्यवाही प्रारंभ करने के पूर्व यह भी देख लिया जाये कि प्रस्तावित परियोजना में वन अभ्यारण्य क्षेत्र (सेन्च्युरी) का कोई हिस्सा तो नहीं आ रहा है. यदि ऐसा होता है तो उस हेतु विधि द्वारा स्थापित सक्षम अनुमति ली जाना होगी.

(iv) कंपनी से भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 41 के प्रावधानों के अनुसार करारनामा निष्पादित कराया जाये, जिसमें उपरोक्त शर्तों का भी समावेश किया जावे.

(v) भू-अर्जन की प्रक्रिया एवं अन्य कार्यवाहियों बावद् शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये.

दो साक्षियों की उपस्थिति में पक्ष क्र.-1 राज्य शासन की ओर से कलेक्टर, जिला सिवनी एवं पक्ष क्रमांक-2 की ओर से श्री विजय भैयाजी माथनकर, डॉयरेक्टर, एस.एल.एस, एनर्जी प्रावईवेट लिमिटेड मुम्बई, द्वारा हस्ताक्षरित कर यह अनुबंध पत्र साक्षियों के समक्ष लिखित हस्ताक्षरित एवं निष्पादित किया गया है.

साक्षियों के हस्ताक्षर
(पूरा नाम, पिता का नाम एवं पूरा पता)

साक्षी क्र.-1
हस्ता./-
नाम : **(जितेन्द्र गोस्वामी)**
पता : S/o श्री वीरेन्द्र गिरी गोस्वामी
ग्राम पो. बरेला थाना. तह. घंसौर

साक्षी क्र.-2
हस्ता./-
नाम : **(होमनलाल गोठिया)**
पता : S/o श्री प्रीतमलाल गोठिया
ग्रा. दुर्जनपुर घंसौर
जिला सिवनी.

पक्ष क्रमांक-1
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हस्ता./-
(अजीत कुमार)
कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग,
जिला-सिवनी (म. प्र.).

पक्ष क्रमांक-2
हस्ता./-
(विजय भैयाजी माथनकर)
डायरेक्टर,
एस.एल.एस. एनर्जी प्रा. लिमि. (मुम्बई)
जिला सिवनी (म. प्र.).

भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का क्रमांक-1) की धारा 41 के अन्तर्गत अनुबंध पत्र

सिवनी, दिनांक 22 अक्टूबर 2011

क्र. 8098-जि. भू-अर्जन-2011.—यह अनुबंध-पत्र प्रथम पक्ष के रूप में मध्यप्रदेश के राज्यपाल जिनकी ओर से कलेक्टर, जिला सिवनी एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग कार्य कर रहे हैं. (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् ''राज्यपाल'' कहा गया है, जिस अभिव्यक्ति के अन्तर्गत जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उनके पद उत्तरवर्ती और समुदेशित भी सम्मिलित है) तथा द्वितीय पक्ष के रूप में एस. ई. डब्ल्यू थर्मल पॉवर कार्पोरेशन लि. हैदराबाद, जिनका स्थाई पता : स्नेहलता, 6-3-871, ग्रीन लैंड रोड, बेगमपेठ, हैदराबाद-16 (आं.प्र.) एवं हाल मुकाम (पता) डी-5, राजुल पैराडाईज, मंडला रोड, तिलहरी, जबलपुर (म. प्र.) है तहसील घंसौर जिला सिवनी, मध्यप्रदेश जो भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत रजिस्टर्ड है. (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् ''कंपनी'' कहा गया है) जिस अभिव्यक्ति के अन्तर्गत जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उनके विधिक प्रतिनिधि, निष्पादक, पद उत्तरवर्ती और समनुदेशित भी सम्मिलित है, जिसकी ओर से मुख्त्यार—श्री गुडरू साम्बासिवा राव (जनरल मैनेजर) जो एस. ई. डब्ल्यू थर्मल पॉवर कार्पोरेशन लि. हैदराबाद, तहसील घंसौर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश में कार्य कर रहे हैं के मध्य आज दिनांक 19 अक्टूबर 2011 को सम्पादित किया जा रहा है.

1. कंपनी ने मध्यप्रदेश शासन को (जिसे आगे राज्य शासन कहा गया है) एस. ई. डब्ल्यू थर्मल पॉवर प्लांट के निर्माण के कारण प्रभावित होने से ग्राम बरौदामाल, हूड़माल, कुर्मीठल. प. ह. नं. 13 एवं ग्राम बरौदा रैय्यत, पारा प.ह.नं. 12, रा.नि.मं. कहानी, तहसील घंसौर जिला सिवनी की निजी कृषि भूमि कुल सर्वे नम्बर संख्या 49 क्षेत्रफल 82.79 हेक्टेयर भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियां के भू-अर्जन हेतु भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के प्रावधानों के अन्तर्गत आवेदन-पत्र माननीय कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला सिवनी के कार्यालय में पेश किया है, जिसका विवरण निम्नानुसार परिशिष्ट-1 पर अंकित किया गया है.

परिशिष्ट-1

निजी कृषि भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं/परिसंपत्तियों एफ.आर.एल. के अन्तर्गत ग्राम बरौदामाल, हूडमाल, कुर्मीठेल, बरौदा रैय्यत एवं पारा (ग्रामवार सूची निम्नानुसार)

अनु.क्र.	नाम भूमि स्वामी एवं जाति	खसरा नंबर	कुल अर्जनीय क्षेत्रफल (हे. में)	सम्पत्ति का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	1. ग्राम—बरौदामाल, प.ह.न. 13, रा.नि.मं. कहानी तह. घंसौर, जिला सिवनी (म. प्र.)			
1	बैसाखु, पिता बीरसिंह गौड़	9	1.34	कुंआ पक्का 1, आम 1, तेंदू 1, पीपल 1, सीताफल 1, पलाश 8, बेर 2.
2	संतराम आत्मज सुमरन, बैगा	12	6.74	आम-2
3	पतीराम, रामसिंह, सुखराम, आत्मज कोमल, बैगा	14	4.41	—
4	रविशंकर, आत्मज मानकलाल, बैगा	15/1	1.82	आम वृक्ष-1
5	रामदीन, आत्मज ईमरत, बैगा	15/2	1.64	—
6	रामदीन, आत्मज ईमरत, बैगा	15/3	0.80	—
7	ग्यारसी बाई ध. प. स्व. चौखेलाल बसोरी नंदकिशोर, चन्द्रकला, लक्ष्मी, ममता, सुनीता, सुशीला सभी के पिता चौखेलाल, चंन्द्रकला, ध. प. स्व. किशोरी, संजय, संगो, संध्या, पूजा (ना.बा.) सभी के पिता किशोरी पा. मां. चन्द्रकला बैगा.	16	1.48	—
8	अजय पिता भारत सिंह, बैगा	42	0.95	—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9	अकलू आत्मज रामस्वरूप बैगा	62	0.18	—
10	अकलू आत्मज रामस्वरूप बैगा	72	0.20	—
		कुल . .	19.56	

2. ग्राम—हूडमाल, प.ह.न. 13, रा.नि.मं. कहानी, तह. घंसौर, जिला सिवनी (म. प्र.)

1	जयलाल, आत्मज तारसिंह गौंड	5	2.83	—
2	ताराचंद, आत्मज बारेलाल गौंड	9	1.24	कुंआ पक्का-1
3	नत्थू आत्मज हिम्मत गौंड	35/1	1.30	कुंआ पक्का-1, बबूल-1
4	जगदीश, आत्मज सिम्मूलाल गौंड	35/2	0.05	पलाश-1
5	मूलचंद, मनीराम, धनीराम, आत्मज मुरारी गौंड	35/3	0.70	—
6	दामोदर सिंह, आत्मज रामसिंह गौंड	35/4	0.90	बबूल-2
7	जगदीश आत्मज सिम्मूलाल गौंड	35/5	0.85	—
8	तखतसिंह, गुलाबसिंह, डालसिंह, भागवती बाई, शांतिबाई आत्मज गिरानी गौंड.	40	1.33	महुआ-1, पलाश-1 बबूल-3.
9	ग्यारसीबाई धर्मपत्नी स्व. चौखेलाल, बसौरी, नंदकिशोर, चंद्रकला, लक्ष्मी, ममता, सुनीता, सुशीला, सभी के पिता चौखेलाल, चंद्रकला धर्मपत्नी स्व. किशोरी, संजय, संध्या, पूजा (ना.बा.) पिता किशोरी पा.मां. चंद्रकला बैगा.	48	4.78	बबूल-3, बेर-1
		कुल . .	13.98	

3. ग्राम—कुर्मीठेल, प.ह.न. 13, रा.नि.मं. कहानी, तह. घंसौर, जिला सिवनी (म. प्र.)

1	भैयालाल आत्मज चमरू, गौंड	3	5.44	—
2	भैयालाल आत्मज चमरू, गौंड	4	0.52	—
3	भैयालाल आत्मज चमरू, गौंड	5	0.17	—
4	भैयालाल आत्मज चमरू, गौंड	7	0.36	—
5	सीताराम आत्मज मचलू, विजय बिन्दु आत्मज भुन्नी बैगा	8	0.27	—
6	नंदलाल आत्मज रतन बैगा	10	0.79	—
		कुल . .	7.55	

4. ग्राम—बरौदा रैय्यत, प.ह.न. 12, रा.नि.मं. कहानी, तह. घंसौर, जिला सिवनी (म. प्र.)

1	वीरेन्द्र सिंह पिता पंचम, जाति परधान	4/2	0.80	—
2	कोकलाल, भीमसेन, अर्जुन, काशीराम, शिववती पिता धीरसिंह, रामकली, श्यामकली पिता परसू, जाति गौंड.	5/1	5.44	महुआ वृक्ष-5, बबूल-2, बिरसिग-1,

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	दमोदर सिंह पिता राम सिंह, गौंड	5/2	3.20	—
4	जयलाल पिता तारसिंह, गौंड	6/1	5.29	—
5	मनोज कुमार पिता विनोद प्रसाद, परधान	6/2	0.92	—
6	वीरेन्द्र सिंह पिता पंचम, जाति परधान	7/2	0.80	
7	बसंतलाल पिता चिल्ला गौंड	38/1	1.17	बेर-4, पलाश-25
8	एतन सिंह पिता बसनलाल, जाति गौंड	38/9	0.40	बेर-4, पाकर-1, पलाश-3
9	गजेन्द्र पिता शालीराम, गौंड	39	1.10	पलाश-17, पाकर-1, गुंजा-1
10	गेंदलाल पिता रामा, गौंड	40/1	1.00	कुंआ पुराना जीर्ण सार्वजनिक-1, छींद वृक्ष-1.
11	छब्बीलाल पिता रामा गौंड	40/2	1.06	ट्यूबवेल-1, कंजई-1, जमुन-1, खैर-1
12	बहादूर, मोहनलाल, सोहदर, सुबरलाल, मुन्नालाल पिता भुन्दुलाल, मीराबाई वि. भुन्दुलाल, गौंड.	40/3	2.02	महुआ-1, बबूल-2
13	ब्रम्हा पिता रामा, गौंड	40/4	1.36	बबूल-3, बेर-5, साज-1, सिरसौर-1, पलाश-2,
14	बरातीलाल पिता रामा, गौंड	40/5	0.44	—
15	सोमती पिता विष्णु गौंड	40/6	0.44	बूबल-1, बेर-1
16	बरातीलाल पिता रामा गौंड	40/7	0.11	—
17	केशोबाई वि. रामा गौंड	40/8	0.70	कुंआ पक्का-1
		कुल . .	26.25	

5. ग्राम—पारा, प.ह.न. 12, रा.नि.मं. कहानी, तह. घंसौर, जिला सिवनी (म. प्र.)

1	अंचन पिता तिलई गौंड	181/1	3.33	—
2	जयलाल पिता तारसिंह गौंड	181/2	1.35	—
3	जयलाल पिता तारसिंह गौंड	182	1.14	—
4	जयलाल पिता तारसिंह गौंड	183	2.33	—
5	सन्नी, शेखू, सनियाबाई पिता कंचन गौंड	185	2.30	—
6	जयलाल पिता तारसिंह गौड	188	0.49	—
7	बुद्धसेन पिता तिलई गौंड	191	4.51	—
		कुल . .	15.45	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

निजी कृषि भूमि एवं उस पर स्थित सरचनाएं/परिसंपत्तियों एफ.आर.एल. के अन्तर्गत ग्राम बरौदामाल हूडमाल, कुर्मीठेल, बरौदा रैय्यत एवं पारा.

1	बरौदामाल	10	19.56
2	हूडमाल	09	13.98
3	कुर्मीठेल	06	07.55
4	बरौदा रैय्यत	17	26.25
5	पारा	07	15.45
	महायोग	. . 49	82.79 हे. (204.57 एकड़)

2. राज्य शासन के नियमों के अनुसार आवश्यक एवं निर्धारित प्रक्रिया से जांच कर इस बात की संतुष्टि कर ली है कि उक्त विद्युत् परियोजना राज्य में विद्युत् की कमी की पूर्ति हेतु और क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है.

3. कंपनी के भू-अर्जन आवेदन-पत्र के आधार पर राज्य शासन द्वारा दिनांक 24 जनवरी 1996 को सम्पन्न भू-अर्जन समिति की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-12-60-95-7-9, दिनांक 19-2-1996 के निर्देशानुसार भू-अर्जन की शर्त का इस अनुबंध-पत्र में समावेश किया गया है.

4. कंपनी को प्रस्तावित अनुमति की शर्त के पालन में कंपनी के राज्यपाल के साथ भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 41 के अन्तर्गत विहित प्रावधान अनुसार अनुबंध निष्पादित किया है. कंपनी की ओर से सहमत होकर यह अनुबंध-पत्र निष्पादित किया गया है.

कंपनी निम्न प्रकार सहमत होकर घोषणा करती है कि :—

(क) कंपनी राज्य शासन को अथवा राज्य शासन के द्वारा इस हेतु नियुक्त व्यक्ति को ऐसी समस्त राशि का अग्रिम भुगतान करेगी जो भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के प्रावधानों के अंतर्गत अवार्ड की राशि जो उक्त भूमि पर स्वत्वधारी व्यक्तियों को मुआवजे के रूप में भुगतान योग्य होगी.

(ख) कंपनी राज्य शासन को ऐसे सभी प्रभारों (खर्च) का भुगतान भी करेंगी जो अधिनियम के अनुसार उक्त भूमि के भू-अर्जन कार्य से युक्तिसंगत संबंधित होगा.

(ग) उपर्युक्त (क) तथा (ख) में वर्णित समस्त भुगतानों के बाद ही राज्यपाल परिशिष्ट-1, में वर्णित निजी कृषि भूमि तथा उस पर स्थित संरचनाएं/परिसंपत्तियां कंपनी को प्रदान करेगा—

(i) एस. ई. डब्ल्यू. थर्मल पॉवर प्लांट के निर्माण से प्रभावित ग्राम बरौदामाल, हूडमाल, कुर्मीठेल, बरौदा रैय्यत एवं पारा की निजी कृषि भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाओं के प्रस्तुत अर्जन प्रस्ताव पर दिनांक 24-1-1996 को सम्पन्न भू-अर्जन समिति की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार तहसील घंसौर, जिला सिवनी के ग्राम बरौदामाल, हूडमाल, कुर्मीठेल, बरौदा रैय्यत एवं पारा की निजी कृषि भूमि क्षेत्रफल 82.79 हेक्टेयर तथा उस पर स्थित संरचनाओं के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के प्रावधान अंतर्गत निम्न शर्तों पर भू-अर्जन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जावेगी.

1. कंपनी (इस आशय के करारनामे या वचनबद्धता के अनुसार) जिन कृषकों की भूमि अधिग्रहित की जा रही है उनके परिवार के कम से कम एक सदस्य को पात्रतानुसार नौकरी देने में प्राथमिकता देगी. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिए पुनर्वास किये जाने की स्थायी योजना को संबंधित प्रोजेक्ट में शामिल किया जावेगा.

2. भू-अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत भू-अर्जन की जा रही भूमि के मूल्यांकन के आधार पर शत-प्रतिशत राशि के साथ 10 प्रतिशत राशि जमा कराये जाने के उपरांत ही कलेक्टर के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम तथा संबंधित विधिक उपबंधों एवं शासनादेश के अन्तर्गत दिये गये प्रावधानों तथा शर्तों के आधार पर किया जावेगा.

3. संबंधित कंपनी के लिये भू-अर्जन किये जाने संबंधी कार्य संबंधित कलेक्टर्स के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम तथा संबंधित विधिक उपबंधों एवं शासनादेशों के अन्तर्गत दिये गये प्रावधानों तथा शर्तों के आधार पर किया जावेगा.

4. संबंधित परियोजना को स्थापित करने के संबंध में संबंधित कंपनी द्वारा मध्यप्रदेश पुनर्वास नीति के अन्तर्गत पुनर्वास की कार्यवाही की जावेगी.

5. कंपनी के संबंध में करारनामा, वचनबद्धता एवं शर्तें आदि लागू करने के लिए कलेक्टर कार्यवाही करेंगे.

6. भूमि के किसी उपयोग या उस पर किसी निर्माण के पूर्व सभी आवश्यक अनुमतियां अनुमोदन एवं अनापत्तियां संबंधित संस्था से जैसे नगर निगम तथा ग्रामीण निवेश विभाग एवं अन्य स्थानीय संस्थाओं, कलेक्टर आदि से प्राप्त करना होंगी तथा मास्टर प्लान एवं पर्यावरण संस्था के नियमों आदि का पूर्ण पालन किया जावेगा.

7. अर्जित की गयी निजी भूमि का वार्षिक व्यपवर्तन कर कंपनी द्वारा देय होगा.

8. भूमि जिस उपयोग के लिये अर्जन की जा रही है, वही उपयोग कंपनी द्वारा किया जावेगा.

9. भूमि पर निर्माण कार्य कराते समय सामान्य जनता के निस्तार आदि का ध्यान रखा जायेगा.

10. कंपनी को दी गई भूमि या उसके किसी भाग अथवा उस पर निर्मित किसी भी निर्माण अथवा भवन आदि को बेचने, बंधक रखने, दान देने, पट्टे पर देने या अन्य प्रकार से अन्तरित करने का अधिकार नहीं होगा. (धारा 44-ए, भू-अर्जन अधिनियम के तहत उक्त भूमि या उसके किसी भाग का विक्रय, बन्धक, दान, पट्टा या अन्यथा अन्तरण समुचित सरकार की पूर्व मंजूरी से करने के सिवाय करने की हकदार न होगी).

11. यदि कंपनी को दी गई भूमि/भवन या उसके किसी भी भाग को विक्रय करती है तो भूमि अथवा उस पर निर्मित भवन, इमारतें शासन को कब्जे में लेने का अधिकार होगा और कंपनी को किसी प्रकार का मुआवजा देय नहीं होगा.

12. भूमि की केवल सतह का उपयोग किया जायेगा, आवश्यक निर्माण जैसे भवन निर्माण, नींव आदि के अतिरिक्त खुदाई नहीं की जायेगी तथा ऐसी खुदाई में प्राप्त खनिज एवं गौण खनिज पर नियमानुसार रायल्टी का भुगतान करना होगा.

13. शासन की पूर्वानुमति के बिना भूमि के उपयोग के स्वरूप को बदला नहीं जावेगा.

14. पर्यावरण की दृष्टि से पर्याप्त आवश्यक वृक्षारोपण किया जायेगा.

15. कंपनी द्वारा प्रदूषण निवारण हेतु व्यवस्था की जावेगी, इस संबंध में शासन के संबंधित विभाग के आदेशों का पालन करना होगा तथा उनसे एवं प्रदूषण निवारण मंडल से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होंगे कि पर्यावरण, जल स्त्रोत या वायु में प्रदूषण नहीं किया जावेगा.

16. यदि कभी उक्त भूमि का उपयोग उक्त प्रयोजन के लिये नहीं होता है या बाद में कभी बंद कर दिया जाता है तो भूमि तथा उस पर निर्मित भवनों, सम्पत्तियों के साथ शासन में निहित हो जावेगी और कंपनी को इस हेतु मुआवजा देय नहीं होगा.

17. भूमि या उसके किसी भी भाग या उस पर बने किसी भवन आदि की उक्त उल्लेखित उपयोग के अलावा न तो किसी अन्य व्यक्ति को उपयोग करने दिया जावेगा, और न ही पट्टे या किराये पर दिया जायेगा.

18. भूमि जिस प्रयोजन हेतु दी गई हो, उससे भिन्न प्रयोजन हेतु उपयोग किये जाने से अनाधिकृत कब्जा मानकर भूमि शासन में निहित कर ली जायेगी.

19. शासन के प्रतिनिधि या कलेक्टर या उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि को भूमि के सही उपयोग तथा शर्तों के पालन की दृष्टि से कभी भी भूमि पर निर्मित भवन आदि तथा परिसर के निरीक्षण का अधिकार होगा.

20. स्थानीय आवश्यकता एवं परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक होने पर सार्वजनिक हित में राज्य शासन या कलेक्टर द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों एवं निर्देशों का पालन किये जाने के लिए कंपनी बाध्य होगी.

(ii) भू-अर्जन कार्यवाही से पूर्व यह भी देख लिया गया है कि अधिसूचित क्षेत्र के ग्रामों में निजी भूमि अर्जित की जा रही हो तो ग्राम सभा की बैठक नियमानुसार की जाकर एवं ग्राम सभा की सहमति प्राप्त करने के पश्चात् ही यह अनुमति प्रभावशील होगी. साथ ही इस परिस्थिति में वैकल्पिक भूमि क्रय कर देने की कार्यवाही की जायेगी.

(iii) भू-अर्जन कार्यवाही प्रारंभ करने के पूर्व यह भी देख लिया गया है कि प्रस्तावित परियोजना में वन अभ्यारण्य क्षेत्र (सेन्च्युरी) का कोई हिस्सा तो नहीं आ रहा है. यदि ऐसा होता है तो उस हेतु विधि द्वारा स्थापित सक्षम अधिकारी से अनुमति ली जावेगी.

(iv) कंपनी से भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 41 के प्रावधानों के अनुसार करारनामा निष्पादित कराया गया जिसमें उपरोक्त शर्तों का भी समावेश किया गया है.

(v) भू-अर्जन की प्रक्रिया एवं अन्य कार्यवाहियों बावद् शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जावेगा.

दो साक्षियों की उपस्थिति में पक्ष क्र. 1 राज्य शासन की ओर से कलेक्टर, जिला सिवनी एवं पक्ष क्र. 2 की ओर से श्री गुडरू साम्बासिवा राव जनरल मैनेजर एस. ई. डब्ल्यू. थर्मल पॉवर कार्पोरेशन लि. द्वारा हस्ताक्षरित कर यह अनुबंध पत्र साक्षियों के समक्ष लिखित हस्ताक्षरित एवं निष्पादित किया गया है.

साक्षियों के हस्ताक्षर
(पूरा नाम, पिता का नाम एवं पूरा पता)

साक्षी क्र.-1
हस्ता./-
नाम : **(संतराम कनेरिया)**
सरपंच
पता : बरौदामाल
घंसौर सिवनी.

साक्षी क्र.-2
हस्ता./-
नाम : **(कमल सिंह यादव)**
पता : पो.+मु. बरौदामाल
जिला सिवनी.

पक्ष क्रमांक-1
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हस्ता./-
(अजीत कुमार)
कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग,
जिला-सिवनी (म. प्र.).

पक्ष क्रमांक-2
हस्ता./-
(गुडरू साम्बासिवा राव)
जनरल मैनेजर एस. ई. डब्ल्यू. थर्मल पॉवर कार्पोरेशन लि.
हैदराबाद (आ. प्र.)
कार्यालय 5-डी, राजुल पैराडाईज
तिलहरी, मंडला रोड, जबलपुर (म. प्र.)

मध्यप्रदेश, राज्य निर्वाचन आयोग

"निर्वाचन भवन"

58, अरेरा हिल्स, भोपाल (म. प्र.)

भोपाल, दिनांक 1 नवम्बर 2011

आदेश

क्र. एफ. 01-10-2011-एक-1534.—मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक बी-1-84-2011-2-एक, दिनांक 21 अक्टूबर 2011 के अनुपालन में श्रीमती मलिका निगम नागर, आर.आर. 2002 को उप संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने हेतु आज दिनांक 1 नवम्बर 2011 को अपराह्न में आयोग से भारमुक्त किया जाता है.

हस्ता./-
(सुभाष जैन)
सचिव,
मध्यप्रदेश, राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीहोर, दिनांक 15 जुलाई 2011

प्र. क्र. 3-अ 82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके साथ संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) धारा 4 की की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीहोर	रेहटी	मट्ठागांव	6.669	कार्यपालन यंत्री कोलार परियोजना, रेहटी.	मरदानपुर उद्वहन सिंचाई योजना के तहत नहर निर्माण.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—मरदानपुर उद्वहन सिंचाई योजना के तहत नहर निर्माण.

(3) भूमि के नक्शे प्लान का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी बुधनी में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 21-अ 82-09--10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके साथ संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीहोर	रेहटी	पथौड़ा	1.296	कार्यपालन यंत्री कोलार परियोजना, रेहटी.	मरदानपुर वितरण की ग्राम पथौड़ा 21 माईनर 630 मी. मी. नहर निर्माण.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—मरदानपुर विवरण की ग्राम पथौडा 21- माईनर 630 मी. नहर निर्माण.

(3) भूमि के नक्शे प्लान का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी बुधनी में किया जा सकता है.

सीहोर, दिनांक 24 अक्टूबर 2011

प्र. क्र. 1-अ 82-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके साथ संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीहोर	श्यामपुर	सतपोन	3.701	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सीहोर.	सतपोन जलाशय की नहर निर्माण.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—सतपोन जलाशय की नहर निर्माण.

(3) भूमि के नक्शे प्लान का निरीक्षण अ.वि.अ/भू-अर्जन अधिकारी सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सीहोर, दिनांक 25 अक्टूबर 2011

प्र. क्र. 2-अ 82-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके साथ संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीहोर	श्यामपुर	पाटन	2.450	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग, सीहोर.	सतपोन जलाशय की नहर निर्माण.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—सतपोन जलाशय की नहर निर्माण.

(3) भूमि के नक्शे प्लान का निरीक्षण अ.वि.अ./भू-अर्जन अधिकारी सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय गोयल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रतलाम, दिनांक 5 अक्टूबर 2011

क्र. 4946-भू-अर्जन-2011-प्र. क्र. 14-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रतलाम	जावरा	मोरिया	0.290	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रतलाम.	मोरिया तालाब के बांध एवं मुख्य नहर से प्रभावित छूटे सर्वे नंबरों की निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा व प्लान का निरीक्षण—अनुविभागीय अधिकारी भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड, जावरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेन्द्र शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

नरसिंहपुर, दिनांक 10 अक्टूबर 2011

प्र. क्र. 1-अ 82-वर्ष 2011-12-पत्र क्र. 70-भू-अर्जन-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
नरसिंहपुर	गाडरवारा	दहलवाडा	2.634	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, नरसिंहपुर.	कान्हरगांव-महंगवा, कला-आडेगांव खुर्द सड़क निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन कार्यालय, गाडरवारा में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजीवसिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला अलीराजपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

अलीराजपुर, दिनांक 14 अक्टूबर 2011

भू-अर्जन प्र. क्र 2-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम का नाम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अलीराजपुर	जोबट	छोटाईटारा	17.40	कार्यपालन यंत्री, जलसंसाधन संभाग, अलीराजपुर.	छोटाईटारा सिंचाई परियोजना से शीर्ष कार्य एवं नहर कार्य.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी जोबट तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, अलीराजपुर (म. प्र.) के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन प्र. क्र 3-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम का नाम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अलीराजपुर	जोबट	अगोनी	20.25	कार्यपालन यंत्री, जलसंसाधन संभाग, अलीराजपुर.	छोटाईटारा सिंचाई परियोजना से शीर्ष कार्य .

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, जोबट तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, अलीराजपुर (म. प्र.) के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन प्र. क्र 4-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके

द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम का नाम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अलीराजपुर	जोबट	टेमाची	4.26	कार्यपालन यंत्री, जलसंसाधन संभाग, अलीराजपुर.	छोटाईटारा सिंचाई परियोजना से शीर्ष कार्य.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, जोबट तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, अलीराजपुर (म. प्र.) के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पुष्पलता सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मण्डला, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मण्डला, दिनांक 17 अक्टूबर 2011

क्र. भू-अर्जन-(अ-82) 2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम एवं प.ह.नं.	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मण्डला	नैनपुर	इटका	0.165	कार्यपालक अभियंता (निर्माण) द.पू.म. रेल्वे, नैनपुर.	छिंदवाड़ा-नैनपुर-मण्डला फोर्ट ब्राडगेज हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर, मण्डला में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-(अ-82) 2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी

संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम एवं प.ह.नं.	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मण्डला	मण्डला	समनापुर ह.नं. 16	0.339	कार्यपालक अभियंता (निर्माण) द.पू.म. रेल्वे, नैनपुर.	छिंदवाड़ा-नैनपुर-मण्डला फोर्ट ब्राडगेज हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर मण्डला में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-(अ-82) 2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन द्वारा, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम एवं प.ह.नं.	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मण्डला	नैनपुर	चिरईडोंगरी माल ह. नं. 35	1.046	कार्यपालक अभियंता (निर्माण) द.पू.मं. रेल्वे, नैनपुर.	छिंदवाड़ा-नैनपुर-मण्डला फोर्ट ब्राडगेज हेतु.

भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर, मण्डला में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-(अ-82) 2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम एवं प.ह.नं.	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मण्डला	नैनपुर	पीपरदौन ह. नं. 34	0.067	कार्यपालक अभियंता (निर्माण) द.पू.मं. रेल्वे, नैनपुर.	छिंदवाड़ा-नैनपुर-मण्डला फोर्ट ब्राडगेज हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर, मण्डला में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-(अ-82) 2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम एवं प.ह.नं.	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मण्डला	मण्डला	बम्हनी ह. नं. 05	0.264	कार्यपालक अभियंता (निर्माण) द.पू.मं. रेल्वे, नैनपुर.	छिंदवाड़ा-नैनपुर-मण्डला फोर्ट ब्राडगेज हेतु.

भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर मण्डला में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-(अ-82) 2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम एवं प.ह.नं.	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मण्डला	मण्डला	ठरका प. ह. नं. 07	0.123	कार्यपालक अभियंता (निर्माण) द.पू. म. रेल्वे, नैनपुर.	छिंदवाड़ा-नैनपुर-मण्डला फोर्ट ब्राडगेज हेतु.

भूमि क नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर मण्डला में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-(अ-82) 2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम एवं प.ह.नं.	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मण्डला	मण्डला	लिमरूआ ह. नं. 08	0.119	कार्यपालक अभियंता (निर्माण) द.पू.म. रेल्वे, नैनपुर.	छिंदवाड़ा-नैनपुर-मण्डला फोर्ट ब्राडगेज हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर मण्डला में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-(अ-82) 2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम एवं प.ह.नं.	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मण्डला	मण्डला	नांदिया ह. नं. 16	0.741	कार्यपालक अभियंता (निर्माण) द.पू.म. रेल्वे, नैनपुर.	छिंदवाड़ा-नैनपुर-मण्डला फोर्ट ब्राडगेज हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर मण्डला में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-(अ-82) 2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम एवं प.ह.नं.	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मण्डला	मण्डला	पेटेगांव ह. नं. 16	0.196	कार्यपालक अभियंता (निर्माण) द.पू.म. रेल्वे, नैनपुर.	छिंदवाड़ा-नैनपुर-मण्डला फोर्ट ब्राडगेज हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर मण्डला में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-(अ-82) 2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम एवं प.ह.नं.	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मण्डला	मण्डला	पौंड़ी (महाराजपुर) ह. नं. 17	0.98	कार्यपालक अभियंता (निर्माण) द.पू.मं. रेल्वे, नैनपुर.	छिंदवाड़ा-नैनपुर-मण्डला फोर्ट ब्राडगेज हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर मण्डला में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-(अ-82) 2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम एवं प.ह.नं.	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मण्डला	मण्डला	महाराजपुर ह. नं. 18	3.708	कार्यपालक अभियंता (निर्माण) द.पू.म. रेल्वे, नैनपुर.	छिंदवाड़ा-नैनपुर-मण्डला फोर्ट ब्राडगेज हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर मण्डला में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रबल सिपाहा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शहडोल, दिनांक 25 अक्टूबर 2011

क्र.-दस-भू-अर्जन-फा. 543-प्र. क्र. 16-अ-82-2010-11-5833.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शहडोल	सोहागपुर	लालपुर	2.497	महाप्रबंधक (प्रोजेक्ट) एस. जे. के. पावरजेन लिमिटेड, शहडोल (म. प्र.)	एस.जे. के. पावरजेन लिमिटेड के पहुंच मार्ग हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सोहागपुर, जिला शहडोल मध्यप्रदेश में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीरज दुबे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीधी, दिनांक 25 अक्टूबर 2011

क्र. 3042-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	मझौली	अमझर	24.86	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग-1, सीधी जिला शीधी (म. प्र.)	गजरी बांध के डूब क्षेत्र हेतु.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एन. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बैतूल, दिनांक 25 अक्टूबर 2011

प्र. क्र. 1-अ-82-वर्ष 11-12-7832.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कॉलम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कॉलम (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के कॉलम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल	भैसदेही	गुदगांव	28.772	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्र. 2, बैतूल.	चिल्कापुर जलाशय के निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, भैंसदेही के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्र. 2, बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, भैंसदेही, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

प्र. क्र. 2-अ-82-वर्ष 11-12-7829.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल	भैसदेही	गुदगांव	0.986	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्र. 2, बैतूल.	चिल्कापुर जलाशय की नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, भैसदेही के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्र. 2, बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, भैसदेही, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

प्र. क्र. 3-अ-82-वर्ष 11-12-7830.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल	भैसदेही	चिल्कापुर	1.437	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्र. 2, बैतूल.	चिल्कापुर जलाशय की नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, भैसदेही के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्र. 2, बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, भैसदेही, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

प्र. क्र. 4 अ-82-वर्ष 11-12-7831.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल	भैसदेही	धोन्डी	1.134	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्र. 2, बैतूल.	चिल्कापुर जलाशय की नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, भैसदेही के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्र. 2, बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, भैसदेही, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

प्र. क्र. 5 अ-82-वर्ष 11-12-7827.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल	भैसदेही	सरई	27.061	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्र. 2, बैतूल.	कौड़ी जलाशय के निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, भैसदेही के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्र. 2, बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, भैसदेही, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

प्र. क्र. 6 अ-82-वर्ष 11-12-7828.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों

को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल	भैसदेही	कौड़ी	2.657	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्र. 2, बैतूल.	कौड़ी जलाशय की नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, भैसदेही के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्र. 2, बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, भैसदेही, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. चन्द्रशेखर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

जबलपुर, दिनांक 31 अक्टूबर 2011

प्र. क्र. 8-अ 82-07-08-भू. अ. अ.-जबलपुर.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हैक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जबलपुर	जबलपुर	धनपुरी प.ह.नं. 58 न. ब. 373	0.06	कार्यपालन यंत्री, हिरन जल संसाधन संभाग, जबलपुर.	मेहगांव टोला जलाशय के आर.बी.सी. के. डूडी माइनर के निर्माण के लिए.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गुलशन बामरा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 2 नवम्बर 2011

क्र. 3452-भू.अ.अ.-2011-12—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने

की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील/ तालुका	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दमोह	जबेरा	बम्होरी सिंगौरगढ़	2.90	संभागीय प्रबंधक, म. प्र. रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर.	दमोह-जबलपुर मार्ग परियोजना के अन्तर्गत जबेरा बायपास निर्माण हेतु.
		मुड़ेरी	1.78		
		काँटी	5.66		
		बिछिया	4.49		
		योग	14.83		

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) तेंदूखेड़ा (दमोह) तथा संभागीय प्रबंधक, म. प्र. रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शिवानंद दुबे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शिवपुरी, दिनांक 2 नवम्बर 2011

क्र. क्यू-भू-अर्जन-2010-11-2114.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील/ तालुका	नगर/ग्राम	खसरा नम्बर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हैकटर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
शिवपुरी	नरवर	सुनारी	1259	0.16	कार्यपालन यंत्री सिंध परियोजना दांया तट नहर संभाग करैरा, जिला शिवपुरी.	सिंध दांया तट नहर (महुअर नदी तक) की शाखा डी-5 के निर्माण कार्य हेतु.
			1277	0.24		
			1278/1	0.35		
			1278/2	0.16		
			1279/1	0.28		
			1279/2	0.02		
			1283	0.56		
			1284	0.03		
			1314	0.05		
			2648	0.32		
			2651	0.09		
			कुल रकबा :	2.26		

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जॉन किंग्सली, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 29 अक्टूबर 2011

क्र. 34-अ-82-10-11-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का नाम
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्वालियर	ग्वालियर	हस्तिनापुर	1.24	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग, क्रमांक-2, ग्वालियर.	सिंध परियोजना (द्वितीय चरण) के अंतर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर की चक महरोली शाखा के निर्माण ग्राम हस्तिनापुर की भूमि का अर्जन.
		योग . .	1.24		

भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 35-अ-82-10-11-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का नाम
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्वालियर	ग्वालियर	चक महरोली	2.88	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग, क्रमांक-2, ग्वालियर.	सिंध परियोजना (द्वितीय चरण) के अंतर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर की चक महरोली शाखा के निर्माण ग्राम चक महरोली की भूमि का अर्जन.
		योग . .	2.88		

भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 36-अ-82-10-11-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का नाम
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्वालियर	ग्वालियर	आरौली	3.90	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग, क्रमांक-2, ग्वालियर.	सिंध परियोजना (द्वितीय चरण) के अंतर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर की चक महरोली शाखा के निर्माण हेतु ग्राम आरौली की भूमि का अर्जन.
		योग . .	3.90		

भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 37-अ-82-10-11-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का नाम
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्वालियर	ग्वालियर	डबका	3.75	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग, क्रमांक-2, ग्वालियर.	सिंध परियोजना (द्वितीय चरण) के अंतर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर की चक महरोली शाखा के निर्माण हेतु ग्राम डबका की भूमि का अर्जन.
		योग . .	3.75		

भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 38-अ-82-10-11-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का नाम
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्वालियर	ग्वालियर	सोनी	2.35	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग, क्रमांक-2, ग्वालियर.	सिंध परियोजना (द्वितीय चरण) के अंतर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर की उदयपुरा शाखा नहर के निर्माण ग्राम सोनी की भूमि का अर्जन.
		योग . .	2.35		

भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 39-अ-82-10-11-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्वालियर	ग्वालियर	हीरी	2.94	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग, क्रमांक-2, ग्वालियर.	सिंध परियोजना (द्वितीय चरण) के अंतर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर की उदयपुरा शाखा नहर निर्माण हेतु ग्राम हीरी की भूमि का अर्जन.
		योग . .	2.94		

भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 40-अ-82-10-11-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्वालियर	ग्वालियर	सिहारा	5.161	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग, क्रमांक-2, ग्वालियर.	सिंध परियोजना (द्वितीय चरण) के अंतर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर की उदयपुरा शाखा के निर्माण हेतु ग्राम सिहारा की भूमि का अर्जन.
		योग . .	5.161		

भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 41-अ-82-10-11-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्वालियर	ग्वालियर	उटीला	12.907	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग, क्रमांक-2, ग्वालियर.	सिंध परियोजना (द्वितीय चरण) के अंतर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर की उदयपुरा शाखा नहर निर्माण हेतु ग्राम उटीला की भूमि का अर्जन.
		योग . .	12.907		

भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 43-अ-82-10-11-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्वालियर	ग्वालियर	भटपुरासानी	3.13	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग, क्रमांक-2, ग्वालियर.	सिंध परियोजना (द्वितीय चरण) के अंतर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर की अर्रोली शाखा नहर के निर्माण हेतु ग्राम भटपुरासानी की भूमि का अर्जन.
		योग . .	3.13		

भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 44-अ-82-10-11-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्वालियर	ग्वालियर	मानपुरा	2.95	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग, क्रमांक-2, ग्वालियर.	सिंध परियोजना (द्वितीय चरण) के अंतर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर की अर्रोली शाखा नहर के निर्माण हेतु ग्राम मानपुरा की भूमि का अर्जन.
		योग . .	2.95		

भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आकाश त्रिपाठी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 29 अक्टूबर 2011

प. क्र. 1733-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन, यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम

की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	त्योंथर	हहोतीपुर्वा	0.364	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, संभाग क्र. 1, रीवा मुख्यालय, त्यौंथर.	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत त्यौंथर उद्वहन योजना के माइनर नहर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

प. क्र. 1735-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन, यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	त्योंथर	बांस	0.369	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, संभाग क्र. 1, रीवा मुख्यालय, त्यौंथर.	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत त्यौंथर उद्वहन योजना के माइनर नहर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

प. क्र. 1737-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन, यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	त्योंथर	रजहा	1.062	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, संभाग क्र. 1, रीवा मुख्यालय, त्यौंथर.	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत त्यौंथर उद्वहन योजना के माइनर नहर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

प. क्र. 1739-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन, यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	त्योंथर	परसधा	1.638	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, संभाग क्र. 1, रीवा मुख्यालय, त्यौंथर.	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत त्यौंथर उद्वहन योजना के माइनर नहर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

प. क्र. 1741-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन, यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	त्योंथर	कैथा	2.417	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, संभाग क्र. 1, रीवा मुख्यालय, त्यौंथर.	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत त्यौंथर उद्वहन योजना के माइनर नहर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

क्र. 1743-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन, यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम

की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	त्योंथर	सोनवर्षा	1.476	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, संभाग क्र. 1, रीवा मुख्यालय, त्यौंथर.	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत त्यौंथर उद्वहन योजना के माइनर नहर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

प. क्र. 1745-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन, यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	त्योंथर	खाम्हा	1.854	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, संभाग क्र. 1, रीवा मुख्यालय, त्यौंथर.	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत त्यौंथर उद्वहन योजना के माइनर नहर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

प. क्र. 1747-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन, यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	त्योंथर	डीह	5.292	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, संभाग क्र. 1, रीवा मुख्यालय, त्यौंथर.	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत त्यौंथर उद्वहन योजना के माइनर नहर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

क्र. 1749-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन, यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	त्यौंथर	बुदामा	2.988	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, संभाग क्र. 1, रीवा मुख्यालय, त्यौंथर.	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत त्यौंथर उद्वहन योजना के माइनर नहर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

क्र. 1751-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन, यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	त्यौंथर	गीधा	0.666	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, संभाग क्र. 1, रीवा मुख्यालय, त्यौंथर.	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत त्यौंथर उद्वहन योजना के माइनर नहर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

क्र. 1753-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन, यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम

की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	त्योंथर	पड़री	4.887	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, संभाग क्र. 1, रीवा मुख्यालय, त्यौंथर.	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत त्यौंथर उद्‌वहन योजना के माइनर नहर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

क्र. 1755-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन, यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	त्योंथर	अंतरैला	1.548	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, संभाग क्र. 1, रीवा मुख्यालय, त्यौंथर.	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत त्यौंथर उद्‌वहन योजना के माइनर नहर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

क्र. 1757-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन, यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	त्योंथर	कोनी खुर्द	2.430	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, संभाग क्र. 1, रीवा मुख्यालय, त्यौंथर.	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत त्यौंथर उद्‌वहन योजना के माइनर नहर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

क्र. 1759-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन, यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	त्योंथर	टेढ़खुर्द	0.720	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, संभाग क्र. 1, रीवा मुख्यालय, त्यौंथर.	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत त्यौंथर उद्वहन योजना के माइनर नहर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

क्र. 1761-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन, यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	त्योंथर	बड़ागांव	6.111	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, संभाग क्र. 1, रीवा मुख्यालय, त्यौंथर.	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत त्यौंथर उद्वहन योजना के माइनर नहर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

क्र. 1763-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन,

यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	त्यौंथर	शिवपुरवा कोठार	0.183	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, संभाग क्र. 1, रीवा मुख्यालय, त्यौंथर.	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत त्यौंथर उद्वहन योजना की मुख्य नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला डिण्डौरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

डिण्डौरी, दिनांक 3 नवम्बर 2011

क्र.-भू-अर्जन-(अ-82)2011-12-3245.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
डिण्डौरी	डिण्डौरी रा. नि. म. बजाग	मिड़ली रै. प.ह.नं. 186	2.40	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग डिण्डौरी.	नीमटोला डायवर्सन योजना शीर्ष कार्य हेतु.
		योग . .	2.40		
		शासकीय भूमि	0.00		
		कुल योग . .	2.40		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं पदेन कलेक्टर डिण्डौरी या कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र.-भू-अर्जन-(अ-82)2011-12-3246.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार,

इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
डिण्डौरी	डिण्डौरी रा. नि. म. बजाग	पड़रिया डोंगरी, प.ह.नं. 181	2.40	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग डिण्डौरी.	नीमटोला डायवर्सन योजना शीर्ष कार्य हेतु.
		योग . .	2.40		
		शासकीय भूमि	0.00		
		कुल योग . .	2.40		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं पदेन कलेक्टर डिण्डौरी या कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र.-भू-अर्जन-(अ-82)2011-12-3247.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
डिण्डौरी	डिण्डौरी रा. नि. म. बजाग	बजाग रै. प.ह.नं. 183	1.87	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग डिण्डौरी.	नीमटोला डायवर्सन योजना शीर्ष कार्य हेतु.
		योग . .	1.87		
		शासकीय भूमि	2.80		
		कुल योग . .	4.67		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं पदेन कलेक्टर डिण्डौरी या कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र.-भू-अर्जन-(अ-82)2011-12-3248.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी

को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
डिण्डौरी	डिण्डौरी रा. नि. म. बजाग	आमाडोंगरी प.ह.नं. 179	1.58	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग डिण्डौरी.	नीमटोला डायवर्सन योजना नहर कार्य हेतु.
		योग . .	1.58		
		शासकीय भूमि	0.00		
		कुल योग . .	1.58		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं पदेन कलेक्टर डिण्डौरी या कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र.-भू-अर्जन-(अ-82)2011-12-3249.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
डिण्डौरी	डिण्डौरी रा. नि. म. बजाग	बिजौरा माल प.ह.नं. 185	4.19	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग डिण्डौरी.	नीमटोला डायवर्सन योजना शीर्ष एवं नहर कार्य हेतु.
		योग . .	4.19		
		शासकीय भूमि	0.00		
		कुल योग . .	4.19		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं पदेन कलेक्टर डिण्डौरी या कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र.-भू-अर्जन-(अ-82)2011-12-3250.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
डिण्डौरी	डिण्डौरी रा. नि. म. बजाग	सिंहपुर प.ह.नं. 178	0.50	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग डिण्डौरी.	नीमटोला डायवर्सन योजना की नहर कार्य हेतु.
		योग . .	0.50		
		शासकीय भूमि	0.00		
		कुल योग . .	0.50		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं पदेन कलेक्टर डिण्डौरी या कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र.-भू-अर्जन-(अ-82)2011-12-3251.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संब-ंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
डिण्डौरी	डिण्डौरी रा. नि. म. अमरपुर	खुड़िया रै. प.ह.नं. 96	3.50	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.	खुड़िया डायवर्सन स्कीम शीर्ष कार्य.
		योग . .	3.50		
		शासकीय भूमि	0.00		
		कुल योग . .	3.50		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं पदेन कलेक्टर डिण्डौरी या कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र.-भू-अर्जन-(अ-82)2011-12-3252.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संब-ंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
डिण्डौरी	डिण्डौरी रा. नि. म. सक्का	बरगा प.ह.नं. 75	24.85	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.	बरगा जलाशय योजना शीर्ष कार्य एवं बॉयी तट नहर कार्य.
		योग . .	24.85		
		शासकीय भूमि	1.00		
		कुल योग . .	25.85		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं पदेन कलेक्टर डिण्डौरी या कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र.-भू-अर्जन-(अ-82)2011-12-3253.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी

को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
डिण्डौरी	डिण्डौरी रा. नि. म. अमरपुर	मुरता रै. प.ह.नं. 105	3.20	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.	मुरता जलाशय बॉयी तट नहर कार्य.
		योग . .	3.20		
		शासकीय भूमि	0.00		
		कुल योग . .	3.20		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं पदेन कलेक्टर डिण्डौरी या कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र.-भू-अर्जन-(अ-82)2011-12-3254.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
डिण्डौरी	डिण्डौरी रा. नि. म. अमरपुर	डूण्डी सरई प.ह.नं. 104	37.20	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.	मुरता जलाशय शीर्ष कार्य, दांयी एवं बॉयी तट नहर कार्य.
		योग . .	37.20		
		शासकीय भूमि	1.60		
		कुल योग . .	38.80		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं पदेन कलेक्टर डिण्डौरी या कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र.-भू-अर्जन-(अ-82)2011-12-3255.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
डिण्डौरी	डिण्डौरी रा. नि. म. शाहपुर	फड़की मा. प.ह.नं. 37	2.00	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.	रकरिया जलाशय दॉयी तट नहर कार्य.
		योग . .	2.00		
		शासकीय भूमि	0.00		
		कुल योग . .	2.00		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं पदेन कलेक्टर डिण्डौरी या कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र.-भू-अर्जन-(अ-82)2011-12-3256.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
डिण्डौरी	डिण्डौरी रा. नि. म. शाहपुर	बरगई प.ह.नं. 37	3.00	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.	रकरिया जलाशय बॉयी तट नहर कार्य.
		योग . .	3.00		
		शासकीय भूमि	0.00		
		कुल योग . .	3.00		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं पदेन कलेक्टर डिण्डौरी या कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र.-भू-अर्जन-(अ-82)2011-12-3257.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
डिण्डौरी	डिण्डौरी रा. नि. म. शाहपुर	रकरिया प.ह.नं. 38	5.00	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.	रकरिया जलाशय दॉयी तट नहर कार्य.
		योग . .	5.00		
		शासकीय भूमि	0.00		
		कुल योग . .	5.00		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं पदेन कलेक्टर डिण्डौरी या कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र.-भू-अर्जन-(अ-82)2011-12-3258.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
डिण्डौरी	डिण्डौरी रा. नि. म. नेवसा	पोड़ी मा. प.ह.नं. 53	1.90	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.	गुमरा जलाशय दॉयी तट नहर कार्य.
		योग . .	1.90		
		शासकीय भूमि	0.00		
		कुल योग . .	1.90		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं पदेन कलेक्टर डिण्डौरी या कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. वी. रश्मि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

जबलपुर, दिनांक 5 सितम्बर 2011

प्र. क्र. 04-अ-82-06-07-(भू.अ.अ.)-92.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—जबलपुर
(ख) तहसील—कुण्डम
(ग) ग्राम—पिटकुही खुर्द, प. ह. नं. 65
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.32 हेक्टेयर.

खसरा नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
58	1.10
61	0.10
60	0.12
योग :	1.32

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—पिटकुही खुर्द जलाशय के शीर्ष कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष जबलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 07-अ-82-06-07-(भू.अ.अ.)-92.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—जबलपुर
(ख) तहसील—कुण्डम
(ग) ग्राम—पिपरिया प. ह. नं. 21/78
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.14 हेक्टेयर.

खसरा नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
71	0.02
72	0.05
75	0.01
79	0.10
74	0.06
76	0.10
70	0.02
77	0.08
80	0.04
81	0.05
82	0.14
83	0.05
146/1	0.07
146/2	0.03
147	0.17
157	0.13
903	0.02
योग :	1.14

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—सेरोली जलाशय की मुख्य नहर हेतु ग्राम-पिपरिया.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष जबलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 08-अ-82-06-07-(भू.अ.अ.)-92.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—जबलपुर
(ख) तहसील—कुण्डम
(ग) ग्राम—साताबेली, प. ह. नं. 20/77

(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.41 हेक्टेयर.

खसरा नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
665	0.15
661	0.02
669	0.20
670	0.04
682	0.03
659	0.22
640	0.03
641	0.10
643	0.02
639	0.03
689	0.08
690	0.05
691	0.18
695	0.03
698	0.22
708	0.04
योग :	1.41

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—सेरोली जलाशय की मुख्य नहर हेतु ग्राम-साताबेली.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष जबलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 09-अ-82-06-07-(भू.अ.अ.)-92.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—जबलपुर
(ख) तहसील—कुण्डम
(ग) ग्राम—हर्राटीकुर, प. ह. नं. 21/78
(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.30 हेक्टेयर.

खसरा नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
554	0.08
577/696	0.02
577	0.10
579	0.11
580	0.02
581	0.04
583	0.09
450	0.04
585	0.14
584	0.05
554	0.02
449	0.07
447	0.05
206	0.03
205	0.08
207	0.22
208	0.10
218	0.10
221	0.14
225	0.10
226	0.03
223	0.07
155	0.06
241	0.15
117	0.12
133	0.42
122	0.19
119	0.07
240	0.02
232	0.05
156	0.17
144	0.10
121	004
141	0.03
142	0.02
145	0.05
146	0.05
116	0.02
120	0.02
448	0.02
योग :	3.30

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—सिरौली जलाशय के नहर हेतु. ग्राम हर्राटीकुर.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष जबलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जबलपुर, दिनांक 24 सितम्बर 2011

प्र. क्र. 15-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) एवं अधिनियम 68 सन् 1984 की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—जबलपुर
(ख) तहसील—पनागर
(ग) ग्राम—पोरूवा, प. ह. नं. 8 न. बं. 298
(घ) लगभग क्षेत्रफल—(0.32 हेक्टेयर में निर्मित)

खसरा नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
64	ट्यूबवेल 0.32 में निर्मित
योग :	0.32

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—मदना वितरण नहर की माइनर एम-5 नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, रा. अ. बा. लो. सा. परियोजना इकाई क्र. 2, बरगी हिल्स जबलपुर में किया जा सकता है.

जबलपुर, दिनांक 19 अक्टूबर 2011

प्र. क्र. 3-अ-82-08-09-भू.अ.अ.इकाई क्र. 1.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—जबलपुर
(ख) तहसील—जबलपुर
(ग) ग्राम—पडुआ, प. ह. नं. 29/34, नं. ब. 271
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.11 हेक्टेयर.

खसरा नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
173	0.11
योग :	0.11

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—शहपुरा वितरण नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, रा. अ. बा. सागर परियोजना इकाई क्र. 1, बरगी हिल्स जबलपुर में किया जा सकता है.

जबलपुर, दिनांक 2 नवम्बर 2011

प्र. क्र. 3-अ-82-10-11(भू.अ.अ.)-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—जबलपुर
(ख) तहसील—कुण्डम
(ग) ग्राम—देवरी, प. ह. नं. 61/8
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.92 हेक्टेयर.

खसरा नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
91	0.34
109	0.161
112	0.052
108	0.03
107	0.161
115	0.185
148	0.12
155	0.048
154	0.093
153	0.12
117	0.004
151	0.125
147	0.15

(1)	(2)
256	0.053
168	0.004
175	0.004
146	0.13
145	0.165
221	0.04
252	0.13
264	0.23
292	0.085
297	0.215
298	0.275
योग :	2.92

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—डोली जलाशय के नहर कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष जबलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 4-अ-82-10-11(भू.अ.अ.)-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—जबलपुर
(ख) तहसील—कुण्डम
(ग) ग्राम—डोली, प. ह. नं. 61/8
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.85 हेक्टेयर.

खसरा नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
142	0.056
140	0.117
138	0.105
137	0.278
135	0.125
133	0.169
योग :	0.85

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—डोली जलाशय के नहर कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष जबलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 5-अ-82-10-11(भू.अ.अ.)-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—जबलपुर
(ख) तहसील—कुण्डम
(ग) ग्राम—देवरी, प. ह. नं. 61/8
(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.29 हेक्टेयर.

खसरा नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
339	0.04
338	0.04
565	0.04
336	0.045
429	0.06
367	0.08
352	0.17
539	0.004
372	0.125
349	0.10
371	0.04
391	0.052
359	0.10
544	0.185
551	0.175
358	0.265
356	0.205
541	0.04
355	0.165
350	0.04
345	0.125
353	0.004
192	0.065
348	0.135
343	0.07

(1)	(2)
344	0.07
447	0.08
448	0.0
455	0.08
422	0.08
520	0.012
527	0.016
526	0.04
543	0.008
528	0.012
529	0.025
530	0.008
531	0.033
566	0.053
567	0.045
540	0.02
550	0.155
550/5	0.105
	योग : 3.29

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—डोली जलाशय के नहर कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष जबलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 6-अ-82-10-11(भू.अ.अ.)-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—जबलपुर
(ख) तहसील—कुण्डम
(ग) ग्राम—जमौड़ी, प. ह. नं. 61/8
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.39 हेक्टेयर.

खसरा नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
462	0.12
460	0.18
458	0.07
456	0.08
457	0.10
481	0.045
478	0.08
430	0.004
428	0.160
489	0.08
425	0.09
268	0.055
265	0.030
270	0.04
272	0.121
282	0.012
247	0.14
244	0.105
242	0.08
243/1, 243/2, 243/3, 243/4	0.03
385	0.015
288/3, 288/1, 288/2	0.161
286	0.03
292	0.165
296/1, 296/2	0.081
293	0.03
129	0.15
134	0.10
133	0.036
	योग : 2.39

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—डोली जलाशय के नहर कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष जबलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गुलशन बामरा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रतलाम, दिनांक 10 अक्टूबर 2011

क्र. 4988-भू-अर्जन-2011-प्र. क्र. 8-अ-82-2008-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रतलाम
(ख) तहसील—रतलाम
(ग) नगर/ग्राम—बिरमावल
(घ) लगभग क्षेत्रफल—02.020 हेक्टेयर.

सर्वे नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
1934	0.075
1935	0.060
1936/2	0.075
1936/4	0.075
1936/8	0.075
1938/1	0.075
1938/2	0.075
1939/2	0.075
1940/1	0.015
1940/2	0.060
1941/1	0.060
1950/6	0.075
1950/7	0.075
1965	0.075
1969	0.030
2001	0.075
2015/30	0.110
2015/31	0.030
2015/32	0.110
2015/36	0.030
2015/44	0.030
2015/45	0.075
2015/53	0.075
2015/65	0.110
2291	0.400
योग :	2.020

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है—कुण्डाल तालाब योजनान्तर्गत तालाब के डूब क्षेत्र एवं नहर निर्माण कार्य से प्रभावित निजी भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान)का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड, रतलाम के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेन्द्र शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला अलीराजपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

अलीराजपुर, दिनांक 14 अक्टूबर 2011

क्र. 1198-भू-अर्जन-2011-प्र.क्र.-1-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—अलीराजपुर
(ख) तहसील—भाबरा
(ग) ग्राम—बरझर
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.15 हेक्टेयर.

सर्वे नं.	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
400	पेकी 0.02
436/1	पेकी 0.14
402/4	पेकी 0.03
434/2	पेकी 0.02
402/3	पेकी 0.02
434/1	पेकी 0.03
403	पेकी 0.07
404	पेकी 0.05

(1)	(2)
405	पेकी 0.04
406	पेकी 0.01
437	पेकी 0.13
408/1	पेकी 0.25
438	पेकी 0.04
439	पेकी 0.04
441	पेकी 0.15
494	पेकी 0.25
503	पेकी 0.39
505	पेकी 0.08
491	पेकी 0.20
492	पेकी 0.03
507	पेकी 0.04
550	पेकी 0.12
	योग : 2.15

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है—सामला कुण्ड तालाब योजना से सिंचाई हेतु नहर कार्य से प्रभावित होने से.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, जोबट तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, अलीराजपुर (म.प्र.) के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पुष्पलता सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़, (ब्यावरा) मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

राजगढ़, दिनांक 28 अक्टूबर 2011

क्र. 15355-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन (बिलोड़ा तालाब निर्माण नहर कार्य) के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—राजगढ़
(ख) तहसील—जीरापुर
(ग) ग्राम—लक्ष्मीपुरा, खेड़ी एवं लिम्बोदा.
(घ) लगभग क्षेत्रफल—10.635 हेक्टेयर.

सर्वे नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
ग्राम—लक्ष्मीपुरा, क्षेत्रफल 5.133 हेक्टेयर	
154/2	0.720
93, 95/1	0.173
154/4/2/1	0.240
95/2, 96, 104	0.176
153, 154/1/2/1	0.300
152/3	0.624
110, 112, 113	0.675
97, 100, 98	0.275
87/4	0.198
19	0.060
84	0.125
79/5/2	0.070
79/4/4	0.066
80	0.105
75	0.088
14, 16	0.198
29/2	0.170
20/1	0.080
21/2	0.114
7/2, 8/3/2	0.286
7/1, 8/3/1	0.390
	योग : 5.133
ग्राम—खेड़ी, क्षेत्रफल 1.996 हेक्टेयर	
443/2	0.105
442/1	0.141
442/2	0.246
441/1	0.294
439/1/2/2	0.100
439/2/1/3	0.032
439/2/1/2	0.100
435/2	0.124
436	0.032
435/1	0.156
420/3	0.152
421	0.192
411/2, 412/2	0.192
229/2, 413/455	0.130
	योग : 1.996

(1)	(2)
ग्राम—लिम्बोदा, क्षेत्रफल 3.506 हेक्टेयर	
146/2	0.192
145, 147	0.186
144/2	0.080
144/1, 148/2	0.128
144/3, 148/3	0.128
149, 150/1	0.220
151/2, 152/2	0.240
154	0.140
155/2	0.186
156/2	0.048
157	0.120
158/2	0.116
160, 163	0.184
161/2, 162/2	0.080
162/1	0.120
162/3	0.026
167/1	0.190
167/2	0.013
191	0.060
190	0.060
206	0.080
207	0.050
208	0.013
205/2	0.040
205/1	0.040
209	0.120
210/3	0.060
210/4	0.060
238, 240	0.144
237/1	0.080
237/2	0.030
228, 230, 236	0.112
219, 229	0.160
योग :	3.506
महायोग . .	10.635

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बिलोडा तालाब के नहर कार्य निर्माण हेतु ग्राम लक्ष्मीपुरा, खेड़ी एवं लिम्बोदा की भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मधू तेवतिया, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 29 अक्टूबर 2011

क्र. क-भू-अर्जन-2011-8937.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सागर
(ख) तहसील—रहली
(ग) ग्राम—संदई
(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.590 हेक्टर.

सर्वे नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
261/1	0.070
261/2	0.074
261/3	0.070
261/4	0.070
233	0.800
237/2	0.030
234	0.260
238	0.700
240/1	0.160
240/2	0.100
241	0.120
263	0.060
264	0.140
262	0.010
239	0.030
266/1	0.010
235	0.100
253	0.080
256	0.140
285	0.110
265/2	0.110
266/2	0.020
280	0.070
286	0.070
301	0.070
302	0.030

(1)	(2)
303	0.090
309/1	0.010
307	0.040
308	0.120
319	0.040
323/1	0.060
323/2	0.070
324/2	0.010
325	0.100
134	0.060
145	0.030
133	0.050
126/1	0.020
118/1	0.050
117/1	0.035
117/2	0.025
417	0.050
501/2	0.075
507	0.015
506	0.130
274	0.010
योग :	4.590

(2) सार्वजनिक प्रयोजन—मैनाई जलाशय योजनान्तर्गत ग्राम—संदई में बांध एवं नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, रहली के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. क-भू-अर्जन-2011-8939.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सागर
(ख) तहसील—गढ़ाकोटा
(ग) ग्राम—परासिया
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.76 हेक्टर.

खसरा नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
5	0.07
6	0.06
9	0.03
10	0.03
11	0.03
12	0.07
75	0.10
89/2	0.20
93	0.03
313	0.02
312/1	0.10
211	0.16
301	0.06
276/1	0.08
275	0.05
277	0.12
271	0.20
261	0.25
260	0.10
योग :	1.76

(2) सार्वजनिक प्रयोजन—चनौआबुजुर्ग जलाशय योजनान्तर्गत ग्राम परासिया में बांध एवं नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, रहली के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. क-भू-अर्जन-2011-8941.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सागर
(ख) तहसील—गढ़ाकोटा
(ग) ग्राम—बाछलौन
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.00 हेक्टर.

खसरा नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
23	0.06
17	0.07
35	0.06
36	0.06
38/1	0.13

(1)	(2)
38/2	0.11
53/2	0.11
54/1, 54/2	0.12
56/2	0.07
138/6, 138/7, 138/8	0.21
योग :	1.00

(2) सार्वजनिक प्रयोजन—चनौआबुजुर्ग जलाशय योजनान्तर्गत ग्राम बाछलोन में बांध एवं नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, रहली के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. क-भू-अर्जन-2011-8942.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सागर
(ख) तहसील—रहली
(ग) ग्राम—बरखेरा सिकंदर
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.655 हेक्टर.

सर्वे नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
336	0.100
349	0.140
323	0.050
340	0.040
389/1	0.075
389/2	0.075
390/1	0.038
390/2	0.038
391	0.105
394	0.068
395	0.097
411	0.135
412/1	0.038
412/2	0.038
413	0.038
388	0.020
353	0.240
350	0.050
324	0.040
332	0.050
331	0.020
325	0.050
321	0.110
योग :	1.655

(2) सार्वजनिक प्रयोजन—मैनाई जलाशय योजनान्तर्गत ग्राम बरखेरा सिकंदर में बांध एवं नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, रहली के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. क-भू-अर्जन-2011-8943.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सागर
(ख) तहसील—गढाकोटा
(ग) ग्राम—चनौआबुजुर्ग
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.89 हेक्टर.

सर्वे नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
22	0.06
7/4	0.11
91	0.14
114	0.05
105	0.10
112	0.10
123	0.10
122	0.05
120	0.07
151	0.06
150	0.05
योग :	0.89

(2) सार्वजनिक प्रयोजन—चनौआबुजुर्ग जलाशय योजनान्तर्गत ग्राम चनौआबुजुर्ग में बांध एवं नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, रहली के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ई. रमेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 29 अक्टूबर 2011

पत्र क्र. 1729-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा-6 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—त्योंथर
(ग) नगर/ग्राम —भगवानपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.342 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
179/1ख/2	0.119
179/3	0.186
179/1क	0.037
योग :	0.342

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत ''त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना के शीर्ष कार्य'' में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1731-भू-अर्जन-कार्य-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा-6 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—त्योंथर
(ग) नगर/ग्राम —सहलोलवा-53
(घ) लगभग क्षेत्रफल —3.414 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा	
	अशासकीय भूमि (हेक्टर में)	शासकीय भूमि (हेक्टर में)
(1)	(2)	(3)
276	0.025	–
277	0.022	–
278	0.348	–
279	0.016	–
273	0.003	–
272	0.245	–
271	0.071	–
296	–	0.042
297	0.038	–
298	0.094	–
299	0.039	
306	–	0.038
313	0.051	–
314	0.180	–
312	0.006	–
319	–	0.075
363/2	0.031	–
364	0.125	–
365/1	0.188	–
366	0.856	–
377/1	0.025	–
378/1	0.226	–
350/2	0.002	–
344	0.348	–
343/1	0.085	–
343/2	0.151	–
345	0.025	–
	3.259	0.155

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली त्योंथर उद्वहन नहर की मुख्य नहर के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार, दिनांक 1 नवम्बर 2011

क्र. 11356-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है. उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—धार
(ख) तहसील—कुक्षी
(ग) ग्राम—खरवाली
(घ) लगभग क्षेत्रफल —2.859 हेक्टेयर

सर्वे नम्बर	अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल (हे. में.)
(1)	(2)
172/4	0.022
174	0.206
177/2	0.248
177/1	0.248
77	0.336
76/2	0.060
74/1	0.024
70/1/1	0.052
70/1/3	0.280
69	0.017
68/2	0.042
50/2/4	0.150
46/2/1	0.036
49	0.052
50/1	0.098
51	0.080
62/1	0.030
62/3	0.025
62/4	0.031
62/6	0.240
61	0.012
92/1	0.260
119	0.010
118/2	0.100
116/1	0.120
114/1/1	0.080
योग . .	2.859

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—इंदला तालाब योजना की नहर निर्माण में प्रभावित होने से.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कुक्षी तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मनावर, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 11361-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है. उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—धार
(ख) तहसील—कुक्षी
(ग) ग्राम—जामला
(घ) लगभग क्षेत्रफल —1.337 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर	अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल (हे. में.)
(1)	(2)
74/1	0.042
74/2	0.042

(1)	(2)
74/3	0.043
75	0.016
76/1	0.232
85/1	0.192
82/1/1	0.008
82/1/2	0.022
82/1/3	0.022
82/1/4	0.022
82/1/5	0.022
49/1	0.184
25/1	0.190
25/2	0.080
34/2	0.112
34/1	0.108
योग . .	1.337

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—इंदला तालाब योजना की नहर निर्माण में प्रभावित होने से.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कुक्षी तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मनावर, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 11366-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है. उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—धार

(ख) तहसील—कुक्षी

(ग) ग्राम—डोबनी

(घ) लगभग क्षेत्रफल —14.620 हेक्टेयर

सर्वे नम्बर	अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल (हे. में.)
(1)	(2)
99/4	1.390
99/2/1	0.627
99/2/2	0.627
120	0.035
121/2	0.067
124/1	0.420
124/2	0.115
124/4	0.138
125	0.040
136/1/1	0.023
136/1/2	0.022
136/2	0.036
136/3	0.068
137/1	0.063
137/2	0.007
138/1	0.020
138/2	0.020
138/3	0.020
138/4	0.040
183	0.112
184/1	0.170
184/2	0.053
187	0.048
188	0.150
233/3	0.200
138/5	0.020
138/6	0.020
121/1	0.153
144	0.250
150/1	0.050
150/2	0.050
150/3	0.100
150/4	0.050
173/1	0.090
173/2	0.020
173/4	0.015
177/1	0.133
177/2	0.042

(1)	(2)
177/3	0.175
174/1	0.080
179	0.200
180	0.075
181	0.200
182	0.080
364/4	0.084
364/5	0.089
364/6	0.083
340/2	0.040
338/1	0.017
338/2	0.250
233/2	0.062
233/1	0.062
211	0.110
212/1	0.200
213	0.265
214	0.075
216	0.011
218/1/1	0.055
222	0.090
221	0.070
223	0.324
224	0.076
226/1/2	0.165
226/1/1	0.165
251/1	0.150
252/1	0.095
252/2	0.095
260/1	0.192
260/2	0.200
264	0.405
269	1.040
329/1	0.200
331/1	0.100
330	0.020
365/4	0.021
364/1	0.128
364/2	0.098
364/3	0.234
233/2	0.062
251/2	0.150
338/3	0.021
335	0.292
336/1	0.032
372	0.148
373	0.160
374	0.160
272/1	0.138
272/2	0.138
272/3	0.020
276/1	0.070
276/2	0.070
277/1	0.058
317/6	0.064
317/5	0.072
317/8	0.060
317/2	0.068
317/4	0.040
316/1	0.072
316/2	0.320
313/4	0.152
126	0.064
117	0.015
116/2	0.180
114	0.136
263/4	0.120
263/6	0.120
218/1/3	0.055
121/1	0.153
340/1	0.040
योग . .	14.620

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—इंदला तालाब योजना की नहर निर्माण में प्रभावित होने से.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कुक्षी, जिला धार तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मनावर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 11371-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है. उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—धार

(ख) तहसील—कुक्षी

(ग) ग्राम—कुर्डूदिग्पुरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल —2.998 हेक्टेयर

सर्वे नम्बर	अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल (हे. में.)
(1)	(2)
352	1.852
356	0.146
351	1.000
योग . .	2.998

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—कुर्डदिग्पुरा तालाब निर्माण में प्रभावित होने से.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कुक्षी तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मनावर, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कटनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

कटनी, दिनांक 2 नवम्बर 2011

क्र. 14-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है. उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—कटनी

(ख) तहसील—कटनी

(ग) ग्राम—मुडवारा प. ह. नं. 43

(घ) लगभग क्षेत्रफल —1.107 हेक्टेयर

खसरा नंबर	रकबा (हे. में.)
(1)	(2)
1276	0.080
1277	0.240
1284	0.125
1285	0.518
1286	0.144
कुल रकबा . .	1.107

स्थल पर निर्मित मकान कुंवा एवं मंदिर तथा अन्य परिसम्पत्तियों सहित.

(2) कटनी साउथ-कटनी मुडवारा कार्ड रेल लाइन निर्माण प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, कटनी कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. सेलवेन्द्रन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 8 नवम्बर 2011

प्रकरण कमाक0 04/अ-82/2010-11 चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।

अतः भू–अर्जन अधिनियम 1894 (क्रं0 01 सन् 1894) की धारा 06 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है ,कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन

क . जिला – छतरपुर

ख. तहसील–राजनगर

ग. ग्राम–सतना

घ. लगभग–क्षेत्रफल ,निजी भूमि– 4.320 हे0

क्रं0	खसरा नं0	रकवा हेक्टर
1	12/2	0.115
2	13	0.240
3	14	0.140
4	15/1	0.550
5	15/2	0.780
6	17	0.080
7	20	0.510
8	21/1	0.725
9	21/2	0.780
10	21/3	0.400
कुल योग	कुल किता 10	**4.320**

2. 6X660 मेगा वाट विद्युत परियाजना हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

3. भूमि के नक्शे (प्लान का निरिक्षण भू–अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व राजनगर में किया जा सकता है।

प्रकरण कमाक0 05/अ-82/2010-11 चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।

अतः भू–अर्जन अधिनियम 1894 (क्रं0 01 सन् 1894) की धारा 06 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है ,कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन

क . जिला – छतरपुर

ख. तहसील–राजनगर

ग. ग्राम–बसारी

घ. लगभग–क्षेत्रफल ,निजी भूमि– **4.525 हे0**

क्रं0	खसरा नं0	रकवा हेक्टर
1	2	3
1	2829/1	0.800
2	2832/3	0.060
3	2833/1	0.150
4	2833/2	0.150
5	2833/3	0.300
6	2835	0.400
7	2846	0.180
8	2847	0.150
9	2848	0.050
10	2854	0.060
11	2855/1	0.225
12	2855/2	0.225
13	2855/3	0.225
14	2855/4/1	0.225
15	2855/5	0.225
16	2870	1.100
कुल योग	कुल किता 16	**4.525**

2. 6X660 मेगा वाट विद्युत परियाजना हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

3. भूमि के नक्शे (प्लान का निरिक्षण भू–अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व राजनगर में किया जा सकता है।

प्रकरण कमाक0 06/अ-82/2010-11 चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।

अतः भू–अर्जन अधिनियम 1894 (क्रं0 01 सन् 1894) की धारा 06 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है ,कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।

अनुसूची

क . जिला – छतरपुर

ख. तहसील–राजनगर

ग. ग्राम–वरेठी

घ. लगभग–क्षेत्रफल ,निजी भूमि– 490.825 हे0

क्रं0	खसरा नं0	रकवा हेक्टर
1	11	1.060
2	12	0.498
3	13	0.308
4	14	0.421
5	15	0.817
6	17	0.348
7	18	1.279
8	19	0.182
9	21	0.773
10	22	0.393
11	23	1.424
12	24	0.603
13	27	0.947
14	28	0.320
15	29	0.991
16	30	0.607
17	31	0.611
18	32	1.206
19	33	0.227
20	34	0.401
21	35	0.219
22	36	0.368
23	37	0.680

क्रं0	खसरा नं0	रकवा हेक्टर
24	38/1	1.655
25	38/2	2.428
26	39	1.177
27	40	0.308
28	41	1.023
29	42	0.348
30	45	0.360
31	46	0.271
32	48	0.194
33	49	0.299
34	50	0.344
35	52	0.425
36	53	0.253
37	54	0.376
38	56	0.299
39	57	0.409
40	58	0.348
41	60	0.591
42	61	0.599
43	62	0.441
44	64	0.388
45	65	0.299
46	66	0.398
47	67	0.737
48	68	0.384
49	69	0.393
50	70	0.619
51	71	1.218
52	72	0.866
53	74	2.634
54	75/1	1.808
55	75/2	0.362
56	75/3	0.362
57	75/5	0.360
58	75/6	0.362
59	87	0.473
60	88	0.999
61	89	0.239
62	111	1.485
63	112	1.453

क्रं0	खसरा नं0	रकवा हेक्टर
64	113	0.902
65	114	0.654
66	115	0.610
67	116	0.555
68	117/1	1.178
69	117/2	0.377
70	118	1.477
71	119/1	1.469
72	119/2	1.214
73	122	0.676
74	123	0.450
75	124	1.011
76	125	1.420
77	126	0.717
78	128	1.246
79	129/1	0.091
80	129/2	0.091
81	130/1	0.133
82	130/2	0.134
83	131	0.235
84	132	0.421
85	133/1	0.087
86	133/2	0.087
87	134	0.073
88	135	0.316
89	136	1.906
90	137/1	1.661
91	137/2	0.852
92	139/1	0.401
93	139/2	1.210
94	141	1.469
95	143	1.833
96	144	0.291
97	147	0.963
98	148	1.153
99	149	0.466
100	150	0.198
101	151	0.534
102	152	0.162
103	153	0.097

क्र0	खसरा नं0	एकवा हेक्टर
104	154	0.425
105	156	0.910
106	157	0.372
107	158	0.368
108	160	0.922
109	161	0.478
110	162	0.372
111	165	0.486
112	166	0.725
113	167/1	0.572
114	167/2	0.573
115	168	0.858
116	170	0.275
117	171	0.478
118	173/1	1.214
119	173/2	1.335
120	176	0.445
121	177	0.113
122	179	0.713
123	180	0.636
124	181	0.773
125	182/1	0.959
126	182/2	0.959
127	183	0.405
128	184/1	0.866
129	184/2	2.023
130	185	2.124
131	186	0.405
132	187	0.725
133	188	0.453
134	189	0.761
135	195	0.672
136	196	0.971
137	197/1	2.023
138	197/2	2.023
139	198	0.324
140	199	0.445
141	200	0.534
142	202/1/क	0.607
143	202/1/ख	5.898

क्रं0	खसरा नं0	रकवा हेक्टर
144	202/2	1.820
145	203/1	3.671
146	203/2	3.670
147	204/2क	2.023
148	204/2ख	2.023
149	204/1	0.809
150	206	0.737
151	207	0.696
152	208	2.169
153	210	0.198
154	212	0.121
155	213	0.174
156	217	2.039
157	218	2.675
158	219	0.713
159	220	0.121
160	221	0.757
161	222	0.486
162	223	0.393
163	224	0.421
164	225	0.567
165	226	0.640
166	227	0.951
167	228	0.210
168	229	0.259
169	230	0.097
170	231	0.579
171	234/1	2.606
172	234/2	0.607
173	235	1.165
174	236	0.162
175	237	1.319
176	239/1	1.430
177	239/2	1.431
178	246	0.283
179	247	0.405
180	248	0.340
181	249	0.138
182	252	0.162
183	253	0.073

क्रं0	खसरा नं0	रकवा हेक्टर
184	254	0.117
185	255	0.113
186	257	0.186
187	628	0.134
188	632	0.930
189	633	0.061
190	634	0.040
191	635	0.202
192	636	0.563
193	637	1.113
194	638	0.364
195	639/1	1.769
196	639/2	2.428
197	640	1.740
198	641/1	5.063
199	641/2	1.214
200	641/3	1.214
201	643/2	0.269
202	643/1	0.645
203	645/1	2.023
204	645/2	2.012
205	646/1	2.023
206	646/2	4.047
207	646/3/क	2.023
208	646/3/ख	2.023
209	646/3/ग	2.023
210	646/3/घ	2.023
211	646/3/ड	2.023
212	646/3/च	2.023
213	647	1.619
214	648	0.438
215	649	0.555
216	650	1.501
217	651/1	1.578
218	651/2	1.578
219	651/3	1.578
220	651/4	1.578
221	651/8	0.085
222	652	1.011
223	653	0.040

क्र0	खसरा नं0	रकवा हेक्टर
224	654	0.607
225	655	0.688
226	656	0.243
227	657	0.413
228	658	0.324
229	659	2.626
230	660	0.709
231	661	0.466
232	662	0.486
233	663	1.955
234	664	1.424
235	665	1.193
236	666	0.243
237	667	1.620
238	672	2.549
239	674	1.161
240	686/1	0.094
241	686/2	0.094
242	686/3	0.094
243	686/4	0.094
244	686/5	0.093
245	686/6	0.094
246	687	0.583
247	688	0.227
248	689	0.793
249	690	0.680
250	691	0.991
251	692	1.724
252	693	0.101
253	694	0.081
254	695	0.458
255	696	0.547
256	697	0.571
257	698	1.092
258	699	1.623
259	700	0.781
260	701	1.040
261	704	0.725
262	705	0.947
263	706	1.850

क्रं0	खसरा नं0	रकवा हेक्टर
264	707	1.319
265	708	1.364
266	709	1.473
267	711	0.162
268	712	0.640
269	714	0.849
270	717/1	2.023
271	717/2	0.417
272	718/1	1.125
273	719	0.304
274	720	0.530
275	721	0.486
276	722	0.930
277	723/1	1.214
278	723/2	1.214
279	723/3	1.117
280	724	0.664
281	725	0.295
282	726/1	0.902
283	726/2	1.196
284	726/3	1.196
285	727/1	0.205
286	727/2	0.205
287	727/3	0.205
288	728/1	0.802
289	728/2	0.802
290	728/3	0.803
291	729/1	1.641
292	729/2	1.642
293	729/3	1.642
294	730/1	1.537
295	730/2	1.536
296	730/3	1.537
297	731/1	0.828
298	731/2	0.828
299	731/3	0.829
300	732/1	0.739
301	732/2	0.739
302	732/3	0.739
303	733/1	0.077

क्रं0	खसरा नं0	रकवा हेक्टर
304	733/2	0.077
305	733/3	0.077
306	734/2	0.246
307	734/3	0.246
308	734/1	0.245
309	735	0.522
310	736	0.725
311	737	0.717
312	738	0.668
313	739/1	0.349
314	739/2	0.351
315	739/3	0.349
316	740/1/1	0.920
317	740/1/2	1.080
318	740/2/1	1.542
319	740/2/2	1.067
320	740/2/3	0.494
321	741	0.529
322	742	0.243
323	743	0.283
324	744	0.364
325	745/1	0.200
326	745/2	1.119
327	746/1	0.247
328	746/2	1.388
329	747	0.283
330	748	0.628
331	749/1	0.811
332	749/2	1.576
333	750/1	0.800
334	750/2	0.560
335	751/1	0.421
336	751/2	0.449
337	752	1.789
338	753/1	0.862
339	753/2	0.862
340	753/3	0.862
341	754	0.202
342	756	1.866
343	758/1	5.813

क्र0	खसरा नं0	रकवा हेक्टर
344	758/2	1.213
345	759	0.890
346	760/1	0.201
347	760/2	0.636
348	761/1	0.178
349	761/2	0.595
350	762	0.910
351	763	0.223
352	764	0.283
353	765	0.486
354	766	0.888
355	769	0.882
356	770	1.222
357	771	1.664
358	773	3.371
359	774	1.461
360	775	1.279
361	776	0.324
362	777	0.162
363	779	0.405
364	780	0.081
365	781	0.162
366	782	0.243
367	783/1	2.103
368	783/2	2.914
369	783/3	0.809
370	785	0.498
371	786	0.344
372	787	0.397
373	788	1.979
374	789	0.870
375	790	0.680
376	791	0.210
377	792	0.142
378	793	0.138
379	794	0.251
380	795	0.251
381	796	0.817
382	797	0.069
383	801	0.405

क्र0	खसरा नं0	रकवा हेक्टर
344	758/2	1.213
345	759	0.890
346	760/1	0.201
347	760/2	0.636
348	761/1	0.178
349	761/2	0.595
350	762	0.910
351	763	0.223
352	764	0.283
353	765	0.486
354	766	0.888
355	769	0.882
356	770	1.222
357	771	1.664
358	773	3.371
359	774	1.461
360	775	1.279
361	776	0.324
362	777	0.162
363	779	0.405
364	780	0.081
365	781	0.162
366	782	0.243
367	783/1	2.103
368	783/2	2.914
369	783/3	0.809
370	785	0.498
371	786	0.344
372	787	0.397
373	788	1.979
374	789	0.870
375	790	0.680
376	791	0.210
377	792	0.142
378	793	0.138
379	794	0.251
380	795	0.251
381	796	0.817
382	797	0.069
383	801	0.405

क्र0	खसरा नं0	रकवा हेक्टर
384	802	0.405
385	803	2.318
386	810/1	0.921
387	810/2	0.921
388	811/1	0.274
389	811/2	0.273
390	812	0.450
391	813/1/1	0.094
392	813/2	0.348
393	813/1/2	0.254
394	814/1	0.162
395	814/2	0.162
396	816	0.640
397	817	0.462
398	818	0.470
399	819	0.567
400	820	0.368
401	821	0.412
402	822	0.405
403	823	0.486
404	824	0.466
405	825	0.607
406	826/1	0.277
407	826/2	0.278
408	827	0.417
409	828/1	0.492
410	828/2	0.491
411	829	0.364
412	830	0.081
413	831	0.380
414	832	0.949
415	833	0.534
416	834	0.462
417	835	0.640
418	836	0.498
419	837	0.490
420	838	0.186
421	839	0.231
422	840	2.505
423	841	0.231

क्रं0	खसरा नं0	रकवा हेक्टर
424	842	0.854
425	843	0.458
426	845/1/1	0.363
427	845/1/2	2.000
428	845/2	2.363
429	845/3	2.364
430	846/1	0.564
431	846/2	0.564
432	846/3	0.564
433	847	0.299
434	848	3.642
435	853/1	0.400
436	853/2/1	1.910
437	853/2/2	0.202
438	853/3	2.415
439	853/4	0.160
440	853/5	0.600
441	853/6	0.270
442	853/7	3.630
443	854	0.587
444	855	1.376
445	856/1	1.364
446	856/2क	0.636
447	856/2ख	0.769
448	856/3	3.392
449	856/4	3.398
450	856/5	0.193
451	857	0.648
452	858	0.020
453	859	0.567
454	860/1	0.288
455	860/2	1.128
456	861	0.688
457	862	0.688
458	863	0.959
459	864	1.700
460	865	8.219
461	871	0.555
462	872	1.032
463	873/2	2.000

क्रं0	खसरा नं0	रकवा हेक्टर
464	874/1	3.683
465	875/1	1.743
466	875/2	1.742
467	875/3	1.132
468	875/4	3.683
469	876/1	1.940
470	876/2	1.940
471	877	2.559
472	879	0.372
473	880	0.490
474	884/1	1.200
475	884/2	1.124
476	884/3	1.496
477	884/4	1.550
478	884/5	1.498
479	884/6	1.250
480	885	0.854
481	886	1.108
482	887/1	4.023
483	887/2	1.035
484	888/1	0.228
485	888/2	1.686
486	889	0.648
487	890	0.866
488	891	2.849
489	892/1	2.000
490	892/2	1.108
491	893	3.379
492	898	1.469
493	899	0.721
494	900	0.704
495	901	1.432
496	902	0.628
497	903	1.453
498	904	0.231
499	905	0.809
500	906	1.664
501	907	0.672
502	908	0.486
503	909	0.793

क्रं0	खसरा नं0	रकवा हेक्टर
504	910	1.161
505	911	0.405
506	912	0.405
507	913	0.202
508	914	2.452
509	915	0.607
510	916	0.283
511	917	0.405
512	918	1.214
513	925/1	0.100
514	925/2	0.646
515	925/3	0.646
516	925/4	0.647
517	926	0.809
518	927	1.449
519	928	0.624
520	929	1.238
521	930/1	1.006
522	930/2	0.997
523	931	0.615
524	932	1.011
525	933	1.238
526	934	1.647
527	935	1.275
528	937	0.279
529	938	0.539
530	939	0.441
531	940	0.279
532	941	0.283
533	942	0.028
534	943	0.198
535	944	0.397
536	945	0.445
537	946	0.121
538	947	0.162
539	948	0.121
540	949	0.178
541	950	0.505
542	959	1.111
543	961	0.364
544	962	0.619
545	963	0.312
546	964	0.016
547	965	0.170
कुल योग	कुल किता 547	**490.825**

2. 6X660 मेगा वाट विद्युत परियाजना हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

3. भूमि के नक्शे (प्लान का निरिक्षण भू–अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व राजनगर में किया जा सकता है।

प्रकरण कमाक0 07/अ.82/2010-11 चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।

अतः भू–अर्जन अधिनियम 1894 (क्रं0 01 सन् 1894) की धारा 06 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है ,कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन

क . जिला – छतरपुर

ख. तहसील–राजनगर

ग. ग्राम–सांदनी

घ. लगभग–क्षेत्रफल ,निजी भूमि–. 449.507 हे0

क्रं0	खसरा नं0	रकवा हेक्टर
1	3/1/2	0.833
2	3/2/2	1.800
3	10	0.482
4	11	0.429
5	12	0.645
6	13	0.971
7	14	0.959
8	30	0.227
9	31	0.445
10	32	0.737
11	33	0.178
12	34	1.088
13	38	0.360
14	39	0.380
15	40	0.494
16	41	0.563
17	42	0.587
18	43	0.539
19	44	0.733
20	45	0.472
21	46	0.551
22	48	0.971

क्र0	खसरा नं0	रकवा हेक्टर
23	49	0.733
24	51	1.068
25	52/1/क	2.023
26	52/1/ख	2.023
27	52/1/घ	2.023
28	52/1/ग	2.023
29	52/2	0.809
30	52/3	0.809
31	54	0.304
32	55	0.202
33	56	0.223
34	57	0.611
35	59	0.991
36	61	0.308
37	62/1	1.400
38	62/2	0.049
39	63/1	0.793
40	65	0.559
41	66	0.664
42	67	0.332
43	68/2/1	1.000
44	68/2/2	1.600
45	68/2/3	1.100
46	68/2/4	1.100
47	69	2.399
48	70	1.724
49	71/1	0.429
50	71/2	0.615
51	72/1	2.023
52	72/2	1.983
53	75	0.906
54	76	0.967
55	77	1.056
56	78/1	0.493
57	78/2	0.493
58	78/3	0.493
59	78/4	0.014
60	79	1.275
61	80	0.344

क्र0	खसरा नं0	रकबा हेक्टर
62	83/1	2.000
63	83/2	1.000
64	83/3	0.800
65	85	0.299
66	86	1.599
67	88	1.243
68	89	1.073
69	91	2.023
70	92	0.841
71	94/1	0.653
72	94/2	0.653
73	96	0.473
74	97	0.656
75	98	0.668
76	99/1	2.416
77	99/2	0.400
78	100/1	0.176
79	100/2	0.371
80	102	1.173
81	103/1/1	0.400
82	103/1/2	1.623
83	103/2	2.023
84	104	0.263
85	106/1	2.023
86	107/1	0.872
87	107/2	0.678
88	108	0.194
89	109/1	2.023
90	110	0.688
91	111/1	0.710
92	111/2	0.710
93	112	0.049
94	113/1	0.433
95	113/2	0.433
96	114/1	0.455
97	114/2	0.455
98	115/1	3.666
99	115/2/क	2.023
100	115/2/ख/1	0.667

क्रं0	खसरा नं0	रकवा हेक्टर
101	115/2/ख/2	0.667
102	115/2/ख/3	0.667
103	115/2/ख/4	0.022
104	115/2/ग	0.433
105	117/1	0.919
106	117/2	1.120
107	119	1.526
108	120	1.817
109	121	0.469
110	123	1.513
111	150	0.259
112	152	5.722
113	154/1/1	0.970
114	154/1/2	0.970
115	154/1/3	0.060
116	155	0.409
117	156	1.372
118	159	0.490
119	160	1.153
120	161	1.878
121	162	2.541
122	164	0.817
123	165	0.514
124	167/1	0.087
125	167/2	0.087
126	168/1	0.554
127	168/2	0.554
128	170/1	0.717
129	170/2	0.716
130	171/1	0.382
131	171/2	0.382
132	172/1	0.077
133	172/2	0.077
134	173/1	0.142
135	173/2	0.141
136	174/1	0.265
137	174/2	0.265
138	175/1	0.124
139	175/2	0.123

क्रं0	खसरा नं0	रकबा हेक्टर
140	176/1	0.170
141	176/2	0.170
142	179/1	0.379
143	179/2	0.378
144	180	0.579
145	181	0.174
146	182	0.429
147	183	0.886
148	184	0.304
149	185	0.219
150	186	0.012
151	187	0.603
152	188	0.028
153	189	0.077
154	190	0.640
155	191	0.041
156	192	0.057
157	193	0.526
158	194	0.409
159	195	0.587
160	196	0.291
161	197/1	2.000
162	197/2	1.850
163	197/3	1.850
164	197/4	1.203
165	198/1	0.488
166	198/2	0.487
167	199	0.498
168	202	0.906
169	203	0.376
170	205	0.918
171	206	1.044
172	207	1.113
173	208	0.057
174	212	0.855
175	213	0.664
176	214	0.543
177	215	0.597
178	216/1	0.556

क्र0	खसरा नं0	रकवा हेक्टर
179	216/2	0.557
180	217	0.886
181	218	0.040
182	219	0.644
183	220	0.348
184	221	0.599
185	223	0.506
186	224	1.145
187	225	0.352
188	226/1	0.433
189	226/2	0.433
190	227	0.388
191	229	0.506
192	230	0.384
193	231/1	0.401
194	231/2	0.401
195	232/1	0.357
196	232/2	0.356
197	233/1	0.418
198	233/2	0.419
199	234/1	0.176
200	234/2	0.176
201	235/1	0.361
202	235/2	0.360
203	236/1	0.480
204	236/2	0.479
205	237/1	0.617
206	237/2	0.617
207	238	1.688
208	250	1.449
209	251	1.356
210	253	0.320
211	254	0.567
212	255	0.421
213	256/1	1.214
214	256/2/1	2.000
215	257	0.668
216	258	0.567
217	259/1	2.023

क्रं0	खसरा नं0	रकवा हेक्टर
218	259/2	1.485
219	260	0.474
220	261/1	1.878
221	479	0.991
222	480	0.057
223	482	0.886
224	485	1.979
225	486	1.663
226	487/5/क	2.023
227	487/5/ख	2.023
228	489/1	1.011
229	489/2/क	2.023
230	489/2/ख	2.023
231	489/2/ग	2.023
232	489/2/घ	2.023
233	489/2/च	0.992
234	490	0.947
235	491	0.729
236	492	0.672
237	493	0.332
238	495	1.234
239	497	0.053
240	498	0.251
241	499	0.425
242	500	0.028
243	501	0.008
244	502	0.117
245	503	0.085
246	504	0.158
247	505	0.332
248	506	0.235
249	522	0.048
250	523	0.028
251	524	0.016
252	526	0.020
253	527	0.032
254	528	0.045
255	529	0.045
256	530	0.202

क्र0	खसरा नं0	रकबा हेक्टर
257	531	0.182
258	532	0.198
259	533	0.150
260	534	0.101
261	597	0.073
262	890	0.283
263	892	0.105
264	893	0.113
265	912	0.065
266	914	0.089
267	915	0.089
268	916	0.049
269	917	0.065
270	918	0.012
271	919	0.024
272	920	0.016
273	922	0.016
274	923	0.077
275	924	0.024
276	925	0.040
277	926	0.012
278	927	0.020
279	928	0.125
280	929	0.224
281	930	0.045
282	931	0.041
283	932	0.020
284	933	0.247
285	934	0.012
286	935	0.089
287	937	0.208
288	940/1	0.127
289	940/2	0.128
290	941/1	0.113
291	941/2	0.114
292	942/1	0.109
293	942/2	0.110
294	943/1	0.085
295	943/2	0.085

क्र0	खसरा नं0	रकवा हेक्टर
296	944/1	0.136
297	944/2	0.135
298	945	0.040
299	946/1	0.107
300	946/2	0.107
301	947	0.150
302	949	0.158
303	950	0.376
304	951	0.040
305	952	0.214
306	953	0.028
307	955	0.210
308	956	0.182
309	958	0.275
310	960	0.263
311	961	0.267
312	962	0.595
313	963	0.413
314	964	0.287
315	965	0.316
316	966	0.308
317	967	0.162
318	968	0.198
319	969	0.020
320	970	0.053
321	971	0.024
322	972	0.020
323	973	0.069
324	974	0.308
325	975	0.332
326	976	0.279
327	978	0.312
328	979	0.016
329	982	1.497
330	984	3.181
331	986/1	0.104
332	986/2	0.104
333	986/3	0.037
334	986/4	0.104

क्रं0	खसरा नं0	रकवा हेक्टर
335	986/5	0.100
336	986/6	0.100
337	986/7	0.100
338	986/8	0.100
339	987/1	0.078
340	987/2	0.078
341	987/3	0.078
342	987/4	0.078
343	987/5	0.079
344	987/6	0.079
345	987/7	0.079
346	987/8	0.079
347	988/1	0.073
348	988/2	0.073
349	988/3	0.093
350	988/4	0.074
351	988/5	0.073
352	988/6	0.093
353	989/1	0.055
354	989/2	0.054
355	990/2	2.023
356	991	0.793
357	992/1	0.800
358	992/2	0.800
359	992/3	0.800
360	992/4	0.800
361	992/5	0.800
362	993/1	0.261
363	995	0.393
364	997/1	0.809
365	997/2	1.010
366	997/3/क/1	1.214
367	997/3/क/2	0.405
368	997/3/ख/1	1.214
369	997/3/ख/2	0.405
370	997/3/ग/1	0.405
371	997/3/ग/2	1.214
372	997/3/घ	2.023
373	997/3/ड	2.023

क्र0	खसरा नं0	रकबा हेक्टर
374	998	1.242
375	999	0.332
376	1001	0.749
377	1003/1	0.943
378	1003/2	0.336
379	1004	0.502
380	1005	0.437
381	1006	0.741
382	1007	0.555
383	1008	0.757
384	1009	0.466
385	1010	0.223
386	1011	0.425
387	1012	1.518
388	1013	0.785
389	1014	0.591
390	1015	0.486
391	1016	0.575
392	1017	0.138
393	1019	0.186
394	1020	0.745
395	1021	0.999
396	1022	1.275
397	1024	0.615
398	1025	0.829
399	1027	1.250
400	1028	1.259
401	1029	0.202
402	1030	0.158
403	1031	2.023
404	1032	0.402
405	1034	0.295
406	1035	0.579
407	1036	1.048
408	1038	1.809
409	1039	0.591
410	1040	0.599
411	1041	0.259
412	1043	0.761

क्र0	खसरा नं0	रकबा हेक्टर
374	998	1.242
375	999	0.332
376	1001	0.749
377	1003/1	0.943
378	1003/2	0.336
379	1004	0.502
380	1005	0.437
381	1006	0.741
382	1007	0.555
383	1008	0.757
384	1009	0.466
385	1010	0.223
386	1011	0.425
387	1012	1.518
388	1013	0.785
389	1014	0.591
390	1015	0.486
391	1016	0.575
392	1017	0.138
393	1019	0.186
394	1020	0.745
395	1021	0.999
396	1022	1.275
397	1024	0.615
398	1025	0.829
399	1027	1.250
400	1028	1.259
401	1029	0.202
402	1030	0.158
403	1031	2.023
404	1032	0.402
405	1034	0.295
406	1035	0.579
407	1036	1.048
408	1038	1.809
409	1039	0.591
410	1040	0.599
411	1041	0.259
412	1043	0.761

क्र0	खसरा नं0	रकबा हेक्टर
413	1061	0.279
414	1063	0.380
415	1064	0.166
416	1067/1	2.000
417	1070	1.602
418	1071	2.833
419	1072/1	1.413
420	1072/2	0.604
421	1073/1/1	1.497
422	1073/1/2	0.903
423	1073/1/3	1.339
424	1073/2/1	1.214
425	1073/2/2	1.214
426	1073/2	0.762
427	1074	1.271
428	1075	0.910
429	1076/1	1.800
430	1076/2	1.805
431	1077	0.931
432	1078	1.007
433	1080	0.555
434	1081	0.615
435	1082	0.291
436	1083	0.534
437	1084	0.494
438	1085/2	2.000
439	1085/3	0.626
440	1086/1/1	2.000
441	1086/1/2	1.007
442	1086/2	1.923
443	1087	0.162
444	1088	1.372
445	1089/1	0.286
446	1089/2	2.000
447	1091	1.655
448	1092	1.230
449	1093/1	1.214
450	1093/2	0.793
451	1094	0.534

क्रं0	खसरा नं0	रकवा हेक्टर
452	1095	0.676
453	1096	1.214
454	1097/1	1.988
455	1097/2	0.112
456	1098	0.789
457	1099	0.829
458	1100	0.930
459	1101	1.133
460	1102	0.384
461	1103	1.133
462	1104/1/क	0.039
463	1104/1/ख	0.483
464	1104/2	0.243
465	1105	0.571
466	1106	0.146
467	1107/1	0.131
468	1107/2	0.484
469	1108	0.462
470	1110	1.015
471	1111/1	2.501
472	1111/2	2.501
473	1111/3	2.053
474	1111/4	2.500
475	1112	0.514
476	1113	0.409
477	1114/1	1.070
478	1114/2	0.261
479	1115	1.781
480	1116	0.676
481	1117	0.429
482	1118	0.684
483	1119	0.603
484	1120/1/1	1.670
485	1120/1/2	0.838
486	1120/2/1	0.800
487	1120/2/2	1.619
488	1120/2/3	1.621
489	1121	0.591
490	1122	0.405

क्रं0	खसरा नं0	रकवा हेक्टर
491	1123/1	0.386
492	1123/2	0.473
493	1124	1.311
494	1125	0.644
495	1126	1.441
496	1131/1	2.917
497	1131/2	2.026
498	1133/1	2.023
499	1133/2	0.806
500	1134	1.793
501	1135	1.809
502	1136	1.133
503	1137	1.069
504	1139/1	0.174
505	1139/2	0.405
506	1140	0.789
507	1141/1/1	2.474
508	1141/1/2,	2.473
509	1141/2	2.426
510	1142	1.420
511	1143	0.138
512	1144	0.178
513	1147	2.043
514	1149/1/ क	1.771
515	1149/2	2.023
516	1151	0.934
517	1153	0.999
518	1154	0.619
519	1155	0.344
520	1156	0.693
521	1158	0.806
522	1159	0.709
523	1160	1.125
524	1161	1.380
525	1163	0.825
526	1164	1.744
527	1165	1.250
528	1166/2	1.000
529	1166/3	0.800

क्र0	खसरा नं0	रकवा हेक्टर
530	1166/4	1.000
531	1167	4.650
532	1168	0.364
533	1169	3.039
534	1170/1	1.113
535	1173	1.526
536	1175/1/1	4.000
537	1175/1/2	1.813
538	1175/2	1.821
539	1175/3	1.821
540	1176/1/1	2.665
541	1176/1/2	1.559
542	1176/2	2.000
543	1177/1	0.504
544	1177/2	0.504
545	1177/3	0.044
546	1178/1	0.503
547	1178/2	0.504
548	1179	0.543
549	1180	0.223
550	1182	0.255
551	1183	0.016
552	1184	0.413
553	1185	0.259
554	1186	0.247
555	1187	0.182
556	1188	0.178
557	1189	0.028
558	1190	0.138
559	1191	0.142
560	1192	0.162
561	1196	0.109
562	1197	0.170
563	1198	0.016
564	1200	0.170
565	1201	0.243
566	1204	0.255
567	1205	0.016
568	1206	0.049

क्र0	खसरा नं0	रकवा हेक्टर
569	1207	0.057
570	1208	0.214
571	1209	0.219
572	1210	0.198
573	1212	0.158
574	1214	0.340
575	1215	0.012
576	1216	0.271
577	1217/1	0.008
578	1217/2	0.008
579	1218	0.409
580	1219	0.219
581	1220	0.016
582	1221	0.016
583	1222/1	0.238
584	1222/2	0.187
585	1223/1	0.271
586	1223/2	0.272
587	1224/1	0.295
588	1224/2	0.296
589	1225/1	0.320
590	1225/2	0.189
591	1225/3	0.216
592	1226/1	2.128
593	1229	1.157
594	1230	0.012
595	1231	0.376
596	1232	0.567
597	1233	0.530
598	1234	0.583
599	1235/1	0.168
600	1235/2	0.168
601	1235/3	0.168
602	1235/4	0.169
603	1235/5	0.169
604	1235/6	0.169
605	1236/1	0.429
606	1236/2/1	0.003
607	1236/2/2	0.003

क्र0	खसरा नं0	रकवा हेक्टर
608	1236/2/3	0.003
609	1236/2/4	0.003
610	1237/1	0.147
611	1237/2	0.147
612	1237/3	0.049
613	1237/4	0.049
614	1237/5	0.049
615	1238	0.020
616	1239/1	0.135
617	1239/2	0.135
618	1239/3	0.045
619	1239/4	0.090
620	1240/1	0.102
621	1240/2	0.102
622	1240/3	0.035
623	1240/4	0.069
624	1242	0.595
625	1243	0.380
626	1245	0.178
627	1246	0.210
628	1247	0.150
629	1248	0.098
630	1252	0.376
631	1253	0.016
632	1254	0.255
633	1255	0.186
634	1256	0.004
635	1257	0.299
636	1258	0.304
637	1259	0.494
638	1260	0.166
639	1262	0.295
640	1263	0.125
641	1265	0.242
642	1266	0.259
643	1267	0.360
644	1268	0.134
645	1269	0.121
646	1270	0.012

क्र0	खसरा नं0	रकवा हेक्टर
647	1271	0.198
648	1272	0.198
649	1273	0.101
650	1274	0.206
651	1277	0.271
652	1288	0.093
653	1289	0.117
654	1290	0.352
655	1291	0.020
656	1292	0.243
657	1293	0.125
658	1294	0.178
659	1295	0.057
660	1296	0.547
661	1297	0.204
662	1298	0.028
663	1299	0.324
664	1301	0.142
665	1302	0.198
666	1303	0.245
667	1304	0.121
668	1305	0.129
669	1306	0.206
670	1307	0.146
671	1325	0.555
672	1326	0.551
673	1327	0.490
674	1328	0.579
675	1544	0.295
676	1546	0.170
677	1550	0.267
678	1551	0.081
679	1552	0.158
680	1553	0.433
681	1554	0.045
682	1557	0.061
683	1558	0.016
684	1559	0.316
685	1560	0.032
686	1969/1332/1/1	0.140
687	1969/1332/1/2	0.070
688	1969/1332/2	0.209
689	1969/1332/3	0.209
कुल योग	कुल किता 689	449.507

2. 6X660 मेगा वाट विद्युत परियाजना हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

3. भूमि के नक्शे (प्लान का निरिक्षण भू–अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व राजनगर में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राहुल जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.